पांचवी रिपीट

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

को लागू करना

(01.01.2010 से 31.12.2010)

राज्य सूचना आयोग, हरियाणा।

एस.सी.ओ नं0 70-71, 114-115,

सैक्टर - 8 सी, चण्डीगढ - 160 009

Website: www.cicharyana.gov.in

e-mail: ussichry@yahoo.co.in

विषय सूची			
अध्याय	विषय	पृष्ठ संख्या	
1	अध्याय ।: प्रस्तावना	3 – 4	
2	अध्याय 2: हरियाणा राज्य सूचना आयोग का गठन	5 – 9	
3	अध्याय 3: वेतन एंव भत्ते	10	
4	अध्याय 4: सूचना का ज्यों का त्यों प्रभावशाली प्रकटीकरण	11 – 14	
5	अध्याय 5: परीक्षण करना व विवरण देना	15 — 17	
6	अध्याय 6: शिकायतें एंव अपीलों की स्थिति	18 – 21	
7	अध्याय 7: अधिनियम के बारे में जागृति पैदा करना	22 – 23	
8	अध्याय 8: सुधार के लिये सिफारिशें	24 – 25	
परिशिष्ट 'क '	सूचना का अधिकार नियम, 2009	26-35	
परिशिष्ट 'ख'	लोक प्राधिकरणों से प्राप्त सूचना	36-46	
परिशिष्ट 'ग'	प्रमुख लोक प्राधिकरण जिनसे जानकारी प्राप्त नहीं हुई	47 — 52	
परिशिष्ट 'घ'	दंड का ब्यौरा जो राज्य लोक सूचना अधिकारियों पर लगाया गया	53 - 74	
परिशिष्ट 'च'	सूची जिन मामलों में अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की सिफारिश की गई	75 – 94	
परिशिष्ट'छ'	अपीलकर्ता / शिकायतकर्ता को मुआवजा दिये जाने का ब्यौरा	95 – 96	

अध्याय - 1

<u>प्रस्तावना</u>

नागरिकों के सूचना के अधिकार को लोक प्रशासन में मुक्तपन, पारदर्शिता और जवाब देही को प्रोन्नत करने के एक अत्यन्त महत्वपूर्ण साधन के रूप में जाना जा रहा है। वास्तव में, उदारीकरण एंव सार्वभौमिकता के इस युग में एक अपारदर्शी सरकार एक तरह से अप्रचलित हो चुकी है। जन प्राधिकारियों द्वारा नागरिकों, दावेदारों, जन सेवा के उपभोक्ता, विकास कार्यक्रमों के लाभार्थियों, नागरिक समाज संगठनों, कारोवारी और व्यापारिक घरानों को उनके प्रशासन, गतिविधियों और निर्णयों के बारे में सूचित करने की आवश्यकता है।

सूचना का अधिकार - क्यों?

यह प्रायः देखने में आया है कि एक सरकार जो गुप्त रूप से कार्य करती वह, एक सरकार जो मुक्तरूप से खुलेपन से कार्य करती है उसकी अपेक्षा, भ्रष्टाचार में अधिक संलिप्त होती है। यही कारण है कि सूचना के अधिकार का राज्स के भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये लोगो का सशक्तिकरण करने हेतु एक महत्वपूर्ण सोंपान समझा जाता है। भारत एक प्रजातान्त्रिक देश है और वास्तिवक प्रजातंत्र हमारे सविधान की प्रस्तावना में निहित है। हमारे सविधान की धारा 19 (1) सम्भाषण एंव अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को परिभाषित करती है। हमारे सर्वोच्य न्यायलय ने भी कितने ही केसों में अपना निर्णय दिया है कि सम्भाषण एंव अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में सूचना प्राप्त करने और सूचना देने का अधिकार भी सम्मिलित किया जाता है।

"वास्तविक स्वराज मात्र कुछ एक के द्वारा सत्ता प्राप्ति से नहीं आयेगा बल्कि सब द्वारा जब सत्ता का दुर्पयोग किया जाता है उस सत्ता का विरोध करने की क्षमता प्राप्ति से ही आयेगा।"

- महात्मा गांधी

सूचना के अधिकार प्रजातन्त्र की नींव को मजबूत करने में सहायता करता है। एक प्रजातांत्रिक सरकार को नागरिकों के विश्वास पर अधारित होने की आवश्यकता है और उनको इसके उदेश्यो, नितियों और कार्यक्रमों को अवश्य जानना चाहिये, उन्हें पूरा करने के लिये सरकार की सहायता करनी चाहिये।

भारत की संसद ने "मई 2005 में ''सूचना का अधिकार अधिनियम,2005" पारित किया है। उक्त अधिनियम विस्तार से व्यवस्था करता है कि :-

- (1) नागरिकों के लिये सूचना के अधिकार का व्यवाहरिक शासन स्थापना करना।
- (2) लोक प्रशासन में भ्रष्टाचार का लगाम लगाने के लिये मुक्तपन, पारदर्शिता और जवाब देही को प्रोन्नत करना।
- (3) केन्द्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग का गठन।
- (4) संवेदनशील सूचना की गोपनीयता को बनाये रखना।

सूचनाधिकार अधिनियम के मूलभूत तथ्यः -

- गोपनीयता की संस्कृति से मुक्तपन / खुलेपन की संस्कृति की ओर परिवर्तित करने की समान्य प्रवृति।
- अधिकत्तम प्रकटीकरण ; कम से कम अपवाद।
- कानूनन आवश्यक प्रकटीकरण (स्व-प्रस्ताव से, स्वंय) (सुओ मोटो)।
- उत्तरदायित्व।
- सूचना उपलब्ध करवाने के लिये निर्धारित समय सीमा।
- व्यक्तिगत गोपनीयता का संरक्षण।
- अपीलीय क्षेत्राधिकार एंव दंड लगाने की शक्तियां।
- सूचना प्राप्त करने के लिये समुचित कीमत/फीस।

इस वर्तमान वार्षिक रिर्पोट में जन प्राधिकारियों से अधिनियम के सैक्सन 25(2) और 25(3) के तहत उन पर डाली गई लिम्मेदारी के अनुसार प्राप्त किये गये तथ्य और आकडों का विशलेषण शामिल किया जाता है और यह वर्ष 2010 में अधिनियम के कार्यान्वयन की स्थिति को रेखािकंत करती है। यह रिर्पोट राज्य सूचना आयोग से संबंधित गतिविधियों और घटनाओं के साथ-2 वर्ष 2010 के दौरान इसकी योजना और बजट का भी विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करती है।

अधयाय - 2

हरियाणा राज्य सूचना आयोग का गठन

2.1 हरियाणा राज्य ने सूचना के अधिकार अधिानियम, 2005 का प्रभावशाली कार्यान्वयन सुनिश्चित करवाने के लिये 31 अक्तूबर, 2005 को अपने सरकारी गजट में अधिसूचना के द्वारा एक हरियाणा राज्य जन सूचना आयोग नामक संस्था का गठन किया। संयोगवश, हरियाणा राज्य सूचना आयोग भी उसी दिन अर्थात् प्रथम नवम्बर, 2005 को अस्तित्व में आया जिस दिन हरियाणा राज्य व र्व 1966 में उद्यीमान हुआ था उप धारा 3 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा राज्य ने निम्निलिखित राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों को अपने – 2 कार्यालय का पदभार संभालने के विवरण के साथ नियुक्त किया: –

नाम	नियुक्ति	पदभार संभालने की तिथि
श्री जी.माधावन आईएएस	राज्य मुख्य सूचना	01.11.2005
(से0नि0)	आयुक्त	
श्रीमती मीनाक्षी आनन्द	राज्य सूचना आयुक्त	09.05.2006
चौधारी, आईएएस (से0नि0)		
श्रीमती आशा शर्मा, आईएस	राज्य सूचना आयुक्त	03.01.2008
(से0नि0)		
लै० जनरल जे.बी.एस.यादव	राज्य सूचना आयुक्त	03.01.2008
श्री अशोक मेहता	राज्य सूचना आयुक्त	03.01.2008
श्री एम.आर.रंगा	राज्य सूचना आयुक्त	03.01.2008
श्री प्रेम वीर सिंह	राज्य सूचना आयुक्त	03.01.2008
श्रीमती मीनाक्षी आनन्द	राज्य सूचना आयुक्त	29.10.2010
चौधारी, आईएएस (से0नि0)	द्वारा राज्य मुख्य सूचना	
	आयुक्त का परभार	
	ग्रहण करना	

2.2 निम्निलिखित राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त इस रिर्पोट अविध के दौरान अपने कार्यकाल पूरा करने के बाद सेवानिवृत हुये।

कम	नाम	नियुक्ति	सेवानिवृति की
सख्या			तिथि
1.	श्री जी.माधावन आईएएस (से0नि0)	राज्य सूचना आयुक्त	28.10.2010
2.	लै0 जनरल जे.बी.एस.यादव	राज्य सूचना आयुक्त	27.10.2010

आयोग का मुख्यालय एंव इसकी कार्यप्रणाली

2.3 राज्य सरकार ने आयोग का मुख्यालय चंडीगड़ में स्थित कर दिया और इसका कार्यालय स्थापित करने के लिये एस.सी.ओ. नं0 70-71 (प्रथम तल), सैक्टर 8-सी, मधयमार्ग, चंडीगढ़ में स्थापित करने के लिये आवंटित कर दिया। तदोपरान्त, राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के उपरांत, राज्य सरकार ने अतिरिक्त कार्यालय उसी सैक्टर में एस.सी.ओ. नं0 114-115 (भूतल और प्रथम तल) पर आवंटित कर दिया।

हरियाणा राज्य सूचना आयोग को बजट आवंटन

2.4 राज्य सरकार, राज्य सूचना आयोग की जरूरतों को पूरी करने के लिये बजट नियत करते समय काफी उदार थी। राज्य सरकार ने प्रारम्भ से लेकर 2010-2011 तक लेखा शीर्ष '2070-अन्य प्रशासकीय सेवांए-नान प्लान के तहत निम्नलिखित आवंटन किया है:

वर्ष	आवंटित राशि (रू	आवंटित राशि (रूपये लाखों में)		
	मौलिक	अन्तिम		
2005 - 2006	3 0.00	26.79		
2006 - 2007	140.04	126.00		
2007 - 2008	167.94	13 5.05		
2008 - 2009	244.27	212.02		
2009 - 2010	265.62	23 3.04		
2010 - 2011	269.34	223.74		

2.5 वर्ष 2009 – 2010 एंव 2010 – 2011 का विवरण विभिन्न उप – शीर्शों के तहत निम्न प्रकार है:

(रूपये लाख में)

			(रूपथ लाख म)
कम संख्या	मद	2009 – 2010 (अंतिम)	2010 – 2011 (अंतिम)
1	वेतन	13 4.72	108.02
2	महंगाई भत्ता	3 2.93	41.02
3	यात्र व्यय	3.47	1.77
4	कार्यालय व्यय	3 7.83	28.92
5	वाहन	2.69	1.46
6	तेल	8.19	5.11
7	चिकित्सा प्रभार	0.79	0.80
8	संविदात्मक सेवाएं	0.00	26.94
9	अवका । यात्र रियायत	9.73	5.00
10	सूचना प्रौद्यौगिकी	2.69	4.70
	कुल	233.04	223.74

2.6 राज्य सरकार ने आयोग के लिये पूर्व – संशोधित और संशोधित वेतनमानों के साथ निम्नलिखित स्टाफ को स्वीकृत किया: –

कम	नाम और पदों संख्या	स्वीकृत वेतनमान		
संख्य		पूर्व वेतनमान	संशोधित	
T			वेतनमान	
1	एक मुख्य सूचना आयुक्त	3 0000 ∕ - रूपये निर्धारित	90000 / - रूपये	
			निर्धारित	
2	पांच सूचना आयुक्त	26000 / - रूपये निर्धारित	80000 / - रूपये	
			निर्धारित	
3	एक सचिव (संयुक्त सचिव	15100 - 400 - 183 00 रूपये	37400 - 67000 +	
	स्तर)		, 8000 ग्रेड पे	
4	एक वरिश्ठ सचिव अधीन	12000 - 375 - 16500 + 400	15600 - 3 9100 +76	
	मुख्य सूचना आयुक्त	स्पेशल वेतन	00 ग्रेड पे	
5	एक अवर सचिव	10000 - 3 25 - 13 900 + 400	15600 - 3 9100 +60	
		स्पेशल वेतन	00 ग्रेड पे	
6	पांच निजी सचिव आयोग के	8000 - 275 - 10200 - ईबी -	9300 - 34800 + 54	
	लिये	275 — 13 500	00 ग्रेड पे	
7	एक लेखा अधिकारी	6500 - 200 - 8500 - ईबी -	9300 - 34800 + 54	
		200 - 10500	00 ग्रेड पे	
8	विधिक पराम कि	आयोग द्वारा तय की समेकित	आयोग द्वारा तय की	
			समेकित	
9	एक अनुसंधाान अधाकारी	7450 - 225 - 9025 - ईबी - 225	9300 - 34800 +46	
	– सह – सलाहकार	- 11500	00 ग्रेड पे	
10	एक अधीक्षक	6500 - 200 - 8500 - ईबी -	9300 - 34800420	
		200 - 10500	0 ग्रेड पे	
11	सात निजी सहायक	6500 - 200 - 8500 - ईबी -	9300 - 34800 + 42	
		200 - 10500	00 ग्रेड पे	
12	दो सहायक	5500 - 175 - 83 00 - ईबी -	9300 - 34800 + 36	
		175 – 9000	00 ग्रेड पे	
13	एक लेखा सहायक	5500 - 175 - 83 00 - ईबी -	9300 - 34800 + 36	
		175 — 9000	00 ग्रेड पे	
14	सात रीडर	5500 - 175 - 83 00 - ईबी -	9300 - 34800 + 36	
		175 — 9000	00 ग्रेड पे	
15	एक कनिष्ठ आशुलिपिक	4000 - 100 - 4800 - ईबी -	5200 - 20200 +24	

		100 — 6000 +40 स्पेशल वेतन	00 ग्रेड पे
16	छः आशुटंकण	3 050 — 75 — 3 950 — ईबी — 80 — 4590 +100 स्पेशल वेतन	5200 — 20200 + 1900 ग्रेड पे +100 स्पेशल वेतन
17	दस लिपिक सह कम्प्यूटर ऑपरेटर	3 050 — 75 — 3 950 — ईबी — 80 — 4590 +40 स्पेशल वेतन	5200 — 20200 + 1900 ग्रेड पे +40 स्पेशल वेतन
18	नौ चालक	4000 — 100 — 4800 — ईबी — 100 — 6000 +3 00 स्पेशल वेतन	5200 — 20200 +24 00 ग्रेड पे+ 300 स्पेशल वेतन
19	इक्कीस सेवादार	2550 — 55 — 2660 — ईबी — 60 — 3 200 +3 0 स्पेशल वेतन	4440 — 7440 + 13 00 ग्रेड पे +3 0 स्पेशल वेतन

2.7 31 दिसम्बर, 2009 को अधीक्षक, विधि अधिकारी एवं लेखा अधिकारी के पद को छोड़कर सभी पद आयोग में भरे हुये थे। श्री चन्द्र शेखर, हरियाणा सिविल सेवाएं, आयोग के सचिव रहे। नीतिगत मामले के अनुसार हरियाणा सिविल सचिवालय और अन्य विभागों से स्टाफ स्थानान्तरण के आधार पर लिया गया था। जब हरियाणा सिविल सचिवालय और अन्य विभागों से स्टाफ उपलब्धा नहीं कराया गया तो नियुक्तियां अनुबन्ध के आधार पर या चिन्हित ठेकेदारी आधार पर एजेंसी के माध्यम से की गई।

अधयाय – 3

वेतन एवं भत्ते

- 3.1 वेतन एवं भत्ते देय और सेवा की अन्य निश्चित शर्ते एवं व्यवस्थाएं जैसी कि आर.टी. आई – एक्ट के सैक्सन 16 की उप सैक्सन 5 में प्रदत्त हैं :
 - क. राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के लिये वही होगी जैसी कि एक चुनाव आयुक्त के लिये;
 - ख. राज्य सूचना आयुक्त के लिये वही होगी जैसी कि राज्य सरकार के मुख्य सचिव के लिये:

बशर्ते कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या एक राज्य सूचना आयुक्त, अपनी नियुक्ति के समय, भारत सरकार या राज्य सरकार की कोई भी पूर्व सेवा के तहत, अपंग या घायलों के लिये पेंशन को छोड़ कर, पेंशन की प्राप्ति में हो तो इस अवस्था में राज्य मुख्य चुनाव आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के रूप में उसकी सेवा से संबंधित उसका वेतन, पेंशन का कोई भी भाग जो समेकित (कम्यूट) कर दिया गया हो तथा सेवानिवृत्ति के दूसरे अन्य लाभों के समान पेंशन को शामिल करते हुये व सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली राशि द्वारा घटा दिया जायेगा अर्थात उसको मिलने वाले वेतन में से उसकी पेंशन की राशि घटा दी जायेगी; उत्तरियाणा के राज्य सूचना आयोग के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को दिये जाने वाले वेतन और भत्ते राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान होंगे। अनुबंध के आधार पर या बाह्य संसाधनों से नियुक्त किये गये कर्मचारी अनुबंध अरधार पर निश्चित की गई अदायगी के अधिकारी होंगे लेकिन वह अदायगी न्यूनन्तम वेतन से किसी भी तरह कम नहीं होगी।

अधयाय - 4

सूचनाधिकार अधिनियम का प्रशासन

4.1 सूचना का स्वंय प्रभावशाली प्रकटीकरण:

सूचनाधिकार अधिनियम के सैक्सन 4 के तहत प्रत्येक जन प्राधिकारी को सूचना के पूर्व - सिक्केय प्रकटीकरण के लिये आदेशित किया जाता है। सूचना जिसे इस सैक्सन के तहत प्रकट करने की अरवश्यकता है उसमें संगठन के विवरण कार्यो एंव कर्तव्यों, नियमों, व्यवस्थाओं, निर्देशों, मैन्युअलों और कार्यो के निर्वहन अधिकारियों व कर्मचारियों की निदेशिका उनको दिया जा रहा मासिक पारिश्रमिक समेत, वार्षिक बजट का विस्तृत विवरण किये गये खर्च, चलाई जा रही स्कीमों / कार्यक्रमों का विस्तृत वर्णन, इसके लाभार्थियों और दी जा रही स्विधाएं और अनुदान आदि के लिये रखे गये रिकार्डी को शामिल किया जाता है। सहायक राज्य जन सूचना अधिकारियों / राज्य जन सूचना अधिकारियों / प्रथम जन पाधिकारी के विस्तृत विवरण को भी प्रकट करने की आवश्यकता है। यह कानूनन आवश्यकता है जिसे प्रत्येक जन प्राधिकारी को अवश्य ही पूरा करना पड़ता है। फिर, उपरोक्त सुचना को मात्र एक बार ही प्रकाशित करना प्यीप्त नहीं है लेकिन प्रत्येक जन प्राधिकारी का इसे समय-2 पर अध्यन्तन करने का भी प्रमुख कर्तव्य है। जहां तक सम्भव हो सके, जैसे ही और जब भी कोई विकास या परिवर्तन होता है तो सूचना का तुरंत अध्यन्तन कर देना चाहिये। जन प्राधिकारी के पास जाये बिना ही नागरिकों की सूचना तक पहुंच की सुविधा प्रदान करने के लिये सूचना को वैब साईट पर डाल दिया जाये। आर.टी. आई-एक्ट, 2005 की आवश्यकताओं के अनुसार यह प्रयोग इसकी शुरूआत से 120 दिनों के अर्न्तगत पूरा करना था लेकिन बहुत से जन प्राधिकारियों को जैसा कि एक्ट के सैक्सन 4 के तहत सोच-विचार किया गया है तदानुसार अभी प्रभावशाली पग उठाने हैं।

4.2 रिकार्डो का रख रखाव व तलाश: —

सूचनाधिकार अधिनियम, 2005 का सैक्सन (1)(ए), जन प्राधिकारियों द्वारा इस विधि व ढंग से कैटालाग व इंडैक्स बनाकर जिससे समुचित समय में रिकार्ड तक पहुंच की सुविधा मिलती है, रिकार्डों के रख रखाव को महत्व देता है। बहुत से केसों में, दस्तावेजों की प्रतियां मांगने के लिये की गई निवेदनों को निपटाने के समय यह अनुभव किया गया कि राज्य जन सूचना अधिकारी निवेदन किये गये दस्तावेजों को तलाश करने में समुचित ढंग से रिकार्ड का रख रखाव करने की प्रणाली की कमी के कारण असफल हो गये। अधिकतर सरकार के कार्यालयों और सरकारी उपकमों में रिकार्ड का रख रखाव एक उपेक्षित क्षेत्र है। सरकार इस दिशा में एक विशेष अभियान चला सकती है ताकि जन प्राधिकारियों के कार्यालयों में उपलब्ध रिकार्ड को इस ढंग से अच्छी प्रकार कैटालोग, इंडैक्स बनाया जाये और इक्टठा किया जाये जो सूचना की आसान तलाश की सुविधा प्रदान कर सके। अधिनियम रिकार्डी के कप्यूट्रीकृत करने और नेटवर्क के माध्यम से सूचना तक पहुंच पर भी बल देता है।

4.3 सूचना उपलब्ध करवाने के लिये पर्याप्त स्टाफ और बजट के प्रावधान:

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 नागरिकों के साथ सूचना की सहभागिता के लिये एक व्यवहारिक प्रशासन का सृजन करता है यदि जन प्राधिकारियों में विशेषकर जिला और खंड स्तरों पर सूचना प्रदान करने का प्रभवशाली तंत्र कार्यरत हो। जिला एंव खंड स्तरों पर कुछ जन प्राधिकारियों के पास मूलभूत संरचना जैसे कि फोटोकापियर्ज, कम्प्यूटरज आदि

जनता को सूचना देने के लिलये उपलब्ध नही होती। क्योंकि आकस्मिक कोष के तहत सीमित राशि होती है, बाजार से फोटो प्रतियां प्राप्त करने का विकल्प भी संभव नहीं है। संरचना के अभाव में कभी-2 सूचना मांगने वालों को न पढ़ी जा सकने वाली हस्त-लिखित सूचना उपलब्ध करवाई जाती है। इन किठनाईयों के प्रति आवाज उन पारस्परिक मेल जोलों में लगातार उठाई जाती है जो आयोग के सामने जन सुनवाइयों में उठाई जा रही के अतिरिक्त आयोग ने जनता के सदस्यों, राज्य जन सूचना अधिकारियों और अन्य सूचना के दावेदारों के साथ आयोजित की थी। इसलिये राज्य सरकार बजट की एक निश्चित प्रतिशतता आर.टी.आई से संबंधित मुद्दों को लागू करने के लिये अलग से अकिंत की जा सकती है। पदासीन अधिकारियों के कार्यालयों में लेखन सामग्री, फोटोकापीयर्ज, कम्प्यूटरज आदि की खरीद के लिये पर्याप्त प्रावधान बनाये जायें।

4.4 आर.टी.आई – एक्ट के तहत लागत व फीस के नियम:

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का धारा 27 अन्य एक्ट के सैक्सनों 6(1), 7(1) और 7(5) के साथ पठित, आवेदन दायर करने के लिये फीस और सूचना उपलब्ध करवाने के लिये कीमत निर्धारित करने के लिये व्यवस्था करता है। तदानुसार, हरियाणा सरकार ने 28 अक्तूबर, 2005 को हरियाणा सूचना का अधिकार नियमों, 2005 को अधिसूचित कर दिया। जिसमें आवेदन की फीस 50/- प्रति पृष्ठ की दर से निर्धारित की गई। राज्य सरकार ने मामले पर पुनः विचार करने और हरियाणा सूचना का अधिकार नियमों, 2009 को दिनांक 21 दिसम्बर, 2009 को रद्द करते हुये जिसमें एक्ट के सैक्सन 7 के उपसैक्सन 5 के तहत वसूल की जाने वाली अतिरिक्त फीस को 10 रूपये से घटा कर 2 रूपये प्रति पृष्ठ कर दिया।

21 दिसम्बर, 2009 को अधिसूचित किये गये नियमों की प्रति अनुबंध 'ए' पर संलग्न की गई है।

4.5 अपील करने की प्रकिया:

सूचना का अधिकार अधिनियम के सैक्सन 27 व सैक्सन 19 के उप सैक्सन 10 के साथ पठित सैक्सनों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा सरकार ने 21 दिसम्बर, 2009 को हरियाणा सूचना का अधिकार नियमों, 2009 को अधिसूचित करते हुये और पूर्वोत्तर अधिसूचित नियमों को 28 अक्तूबर, 2005 को रद्द करते हुये अपील दायर करने की प्रक्रिया, अपील का फैसला करने की प्रक्रिया, नोटिस जारी करने के ढंग, आयोग के सामने अपीलकर्ता/शिकायतकर्ता की पेशी आदि की प्रक्रिया की प्रतिस्थापना करती है।

अध्याय-5

परीक्षण करना एंव रिपोर्ट देना

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का सैक्सन 25 व्यवस्था करता है कि प्रत्येक वर्ष के अन्त में राज्य सूचना आयुक्त पूरे वर्ष के लिये इस अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन पर एक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसकी एक प्रति समुचित सरकार को अग्रेसित करेगा। तदुपरांत रिपोर्टी को राज्य विधानसभा के सामने रखने की आवश्यकता है। एक्ट के सैक्सन 25(2) आगे फिर आदेशित करता है कि प्रत्येक मंत्रालय या विभाग या सरकारी उपक्रम जन प्राधिकारियों के सम्बन्ध में अपने - 2 क्षेत्रधिकार के अर्न्तगत ऐसी सूचना एकत्रित करेगा और राज्य सूचना आयोग को उपलब्ध करवायेगा क्योंकि आयोग द्वारा वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने की आवश्यकता होती है। जब जन प्राधिकारियों से कोई भी रिपोर्ट प्राप्त नही हुई, आयोग ने पत्र दिनांक 22.08.2012 के द्वारा प्रशासकीय सिचवों, विभागाध्यक्षों, मण्डलिय आयुक्तों, राज्य में जिला उपायुक्तों, बोर्डो, निगमों और सरकारी उपकमों के प्रंबंध निदेशकों, पंजाब एंव हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार, हरियाणा विधानसभा के सचिव को पदासीन राज्य जन सूचना अधिकारियों से वांछित विस्तृत वर्णनन को एकत्रित करने और इसे दिनांक 01.01.2010 से 3 1.12.2010 तक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने के लिये आयोग को देने हेतु निर्देशित किया। विभिन्न जन प्राधिकारियों प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डो, निगमों, सरकारी उपकमों, मंडलो के आयुक्तों और उपायुक्तों के बारे में आयोग द्वारा प्राप्त किये गये तथ्य एंव आकड़ों के आधार पर अधिनियम के प्रशासन का ऑकड़ा विश्लेषण वर्णमाला के कम से अलग ही अनुबंध 'ख' पर संलग्न किया जाता है। मुख्य विभागों और जन प्राधिकारियों जिन्होंने आयोग के संदेश दिनांक 22.8.2012 का उत्तर नहीं दिया, की एक सूची अनुबंध 'ग' पर रखी गई है।

5.2 उपलब्ध सूचना के अनुसार, दिनांक 1.1.2010 से 31.12.2010 तक की अवधि के दौरान , रिर्पोटिंग जन प्राधिकारियों द्वारा कुल 32856 आवेदन प्राप्त हुये। आर.टी.आई एक्ट, 2005 के कमश: सैक्सन 8 और 9 के तहत छूट वाले प्रावधानों के कारण 1081 और 65 केसों में सूचना तक पहुंच पर रोक लगा दी गई। इस तरह कुल केसों के लगभग 3.487 प्रतिशत केसों में सूचना तक पंहुच को इनकार कर दिया गया। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, अपीलकर्ताओं द्वारा कुल 16,27,162 रूपये की राशि निर्धारित आवेदन फीस और अतिरिक्त फीस के रूप में जमा करवाई गई।

ये आंकडे दर्शाते हैं कि अधिकत्तर केसों में जनप्राधिकारियों ने देर – सबेर से आर.टी. आई – आवेदनों को सूचना उपलब्ध करवाई है।

- 5.3 अधिनियम को बेहतर ढंग से लागू करने के लिये जनप्राधिकारियों से प्राप्त किये गये सुझाव:
 अधिानियम की धारा 25(2) के तहत मांगी गई रिपोर्ट को प्रस्तुत करते समय विभिन्न
 जनप्राधिकारियों से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन में सुधार लाने के
 लिये कुछ सुझाव प्राप्त किये गये हैं।
 - (1) राज्य जन सूचना अधिकारी के पद पर नियुक्त किये जाने वाला एक वरिष्ठ स्तरीय अधिकारी होना चाहिये जो देरी से सूचना देने की गलती करने वाले के विरूद्ध कार्रवाई कर सके।
 - (2) बेकार की छिछोरी सूचना प्राप्त करने वालों को हतोत्साहित करने के लिये अतिरिक्त फीस में वृद्धि कर देनी चाहिये।

- (3) बहुसंख्यक अर्थात् कई प्रकार की, बेकार एंव विस्तृत शिकायतें सूचना का अधिकार अधिनियम अपीलकर्ताओं से प्राप्त की गई हैं जो न केवल स्टाफ का ध्यान बंटाती है बिल्क ऐसी सूचना एकत्रित करने में संसाधनों को भी नष्ट करवाती है जिसे कोई भी जनहित का उद्देश्य प्राप्त नहीं होता है।
- (4) व्यर्थ के आवेदनों में कमी करने के लिये और यह सुनिश्चित करने के लिये कि केवल असली सूचना मांगने वाले ही सूचना का अधिकार अधिनियम से सहायता या सुरक्षा की याचना कर सकते हैं। यह सुझाव दिया जाता है कि एक सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन में केवल एक ही सूचना देने की अनुमित होनी चाहिये।
- (5) गरीबी की रेखा से नीचे (बीपीएल) अपीलकर्ता वह सूचना मांग रहे हैं जो उनसे कोई सम्बंध ही नहीं रखती। साधारणतया बीपीएल अपीलकर्ता जन प्राधिकारी की समूची कार्यप्रणाली की सूचना मांग रहे हैं जो स्पष्ट रूप से अधिनियम का दुरूपयोग है। इस अव्यव्स्था में अधिनियम के अर्न्तगत ऐसी मशीनरी होनी चाहिये जिससे बीपीएल के व्यक्ति अपने ही प्रयोजनों के कारण लाभान्वित हो सके। पांच वर्ष से अधिक पुरानी सूचना के बारे में समय सीमा 30 दिनों से अधिक बढा देनी चाहिये।
- (6) राज्य जन सूचना अधिकारी / प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों को समय 2 पर प्रिक्षण देकर तरोताजा करते रहना चाहिये।
- (7) जन प्राधिकारी पर जुर्माना इस शर्त के साथ लगाना चाहिये कि उस जुर्माने की वसूली सूचना देरी से देने की गलती करने वाले कर्मचाारी से की जाये।

(8) तीसरी पार्टी की सूचना प्रकट नहीं करनी चाहिये।

अध्याय - छः

शिकायतें एवं अपीलों की स्थिति

6.1 राज्य जन सूचना आयोग के पास धारा 18 (2) के तहत शिकायतें प्राप्त करने और जांच करने का मौलिक क्षेत्राधिकारी और धारा 19(3) के तहत जन प्राधिकारियों के फैसलों के विरूद्ध अपील प्राप्त करने का द्वितीय अपीलीय क्षेत्रधिकार है। 1.1.2010 से 31.12.2010 की अविध के दौरान शिकायतें एवं अपीलों को दायर करने की प्रक्रिया, किए गए फैसले और 31. 12.2010 को लम्बित मामलों की संख्या निम्न प्रकार से है:-

(ा) शिकायत केसों का विवरण :

3 1.12.2009 क	रिपोर्टाधीन अवधि	के दौरान दायर	अवधि के	3 1.12.2010
लम्बित केस	की गई शिकायतें		दौरान किए	को लम्बित
	1.1.2010 से	कुल	गए फैसले	
	3 1.12.2010 तक			
77	450	527	445	82

(॥) अपील केसों का विवरण :

3 1.12.2009	को	रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान दायर		अवधि के	3 1.12.2010
लम्बित केस		की गई अपील		दौरान किए	को लम्बित
		1.1.2010 से	1.1.2010 से कुल		
		3 1.12.2010 तक			
3 78		2560	2938	2116	822

- 6.2 इस अविध के दौरान 1.1.2010 से 31.12.2010 तक आयोग ने 5217 मिले जुले आवेदनों का फैसला सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 और नियमों के तहत जैसा कि कानूनी रूप से आदेशित किया गया है निवेदन को शिकायत या अपील के रूप में स्वीकार करने से पूर्व अपीलकर्ताओं को अधिनियम के अनुरूप औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह देते हुए किया।
- 6.3 राज्य सूचना आयोग, हिरयाणा दोनों पार्टियों की लिखित टिप्पणीयां मंगवाकर दोनों शिकायतकर्ताओं / अपीलकर्ताओं और राज्य जन सूचना अधिकारियों / प्रथम अपीलाधिकारियों और तीसरी पार्टियों को भी सुनवाई का अवसर की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए सभी शिकायतों और अपीलों का फैसला करता रहता है । लिखित और मौखिक पार्टियों द्वारा किए गए आवेदनों के उपरान्त फैसलों की घोषणा की जाती है । सुनवाई के दौरान यदि आवश्यक हुआ तो मौलिक और प्रासंगिक रिकार्ड का अवलोकन भी किया जाता है।

6.4 अधिनियम के धारा 20 के तहत की गई कार्रवाई: -

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के धारा 20 (1)के तहत आयोग ने 1.1.2010 से 31.12.2010 तक की अविध के दौरान राज्य जन सूचना अधिकारियों और विचारणीय (डीम्ड)जन सूचना अधिकारियों पर कानूनी दण्डात्मक कार्रवाई करने के लिए 799 कारण बताओ नोटिस जारी किए। 114 राज्य सूचना अधिकारियों/विचारणीय द्धडीमडऋ राज्य सूचना अधिकारियों पर जुर्माना किया गया जो निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण सूचना देने में असफल रहे और सूचना देने में बिना किसी देरी समुचित कारण से हुई थी। इन केसों का पूर्ण विवरण 1.1.2010 से 31.12.2010 की अविध की रिपोर्ट के साथ परिशिष्ट 'घ' के तहत सलंग्न है और रिपोर्टाधीन अविध 1.1.2010 से 31.12.2010 तक का विवरण जुर्माने के कारण लगाई गई राशि के साथ परिशिष्ट 'इ' के साथ सलंग्न है । दोषी प्रवृति के अधिकारियों/कर्मचारियों व विचारणीय (डीम्ड) राज्य जन सूचना अधिकारियों सहित, जो राज्य जन सूचना अधिकारी को सूचना उपलब्ध करवाने में असफल रहे, के विरूद्ध अधिनियम की धारा 20(2) के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की सिफारिश भी की गई। दिनांक 1.1.2010 से 31.12.2010 के दौरान 13 केसों में गलती करने वाले

अधिकारियों / कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की सिफारिश की गई थी । इस तरह के केसों का विवरण कमाः परिशिष्ट 'ई' पर सलंग्न है।

6.5 <u>धारा 19(8)(ख) के तहत मुआवजा: –</u>

अधिनियम की धारा 19(8)(70) आयोग को शिक्तयां प्रदान करता है कि वह जन सूचना अधिकारियों को आदेश दे कि वह शिकायतकर्ता और अपीलकर्ता द्वारा उठाई गई हानि या हर्जाने की प्रतिपूर्ति करे। इन केसों का विस्तृत ब्यौरा जिनमें दिनांक 1.1.2010 से 31.12.2010 तक की अविध के दौरान प्रतिपूरक दिया गया था, परिशिष्ट 'च' पर सलंग्न है। इस अविध के दौरान 320 केसों में अपीलार्थी शिकायतकर्ताओं को मुआवजा प्रदान किया गया। यहां यह बताना संगत होगा कि कुछ जनअधिकारियों ने उसे (प्रतिपूरक) सम्बन्धित राज्य जन सूचना अधिकारी या देरी के लिए उत्तरदायी पाए गए व्यक्ति से वसूल करने का फैसला किया।

6.6 <u>कोर्ट केस :</u>

कुछ केसों में दुखित पार्टियों ने आयोग के आदेशों के विरूद्ध माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने को प्राथमिकता दी। आयोग ने अपने कानून द्वारा निर्धारित क्षमता के अनुरूप सूचना अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत इस तरह की याचिकाओं की रक्षा न करने का फैसला किया है। ऐसी स्थितियों में एक पत्र रजिस्ट्रार (याचिकाएं) एवं रजिस्ट्रार (न्यायिक) महाधिवक्ता हरियाणा सहित को प्रेषित किया जा रहा है।

6.7 आयोग की वैबसाईट और ई - मेल पता : -

आयोग की वैब साइट <u>www.cicharyana.gov.in</u> कार्यशाील अवस्था में है । कारण सूची (केसों की) एवं शिकायतों तथा अपील केसों पर आयोग द्वारा पारित आदेशों को वैबसाईट द्वारा भेजा जा रहा है। आयोग का ई-मेल पता <u>ussichry@yahoo.co.in</u> है ।

6.8 सूचना प्रौद्योगिकी 'समर्थकारी' के लिए केन्द्रीय सहायता :

भारत की सरकार, कार्मिक मंत्रालय, जन शिकायतें एवं पैंशन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 20 नवम्बर 2008 के द्वारा केन्द्रीय योजना के तहत आयोजित सूचना अधिकार अधिनियम को प्रभावशाली कार्यन्वन हेतू एवं नया उपकम ''बलशाली, क्षमता निर्माण एवं चेतना जागृति'' के नाम से शुरू किया गया है जिसके तहत सूचना औद्योगिकी प्रकरणों 'समर्थकारी' के लिए 30.00 लाख रूपए की राशि स्वीकृत करने पर सहमति हुई थी। तदानुसार राज्य सूचना आयोग हरियाणा ने 5 दिसम्बर 2008 को एक परियोजना प्रस्ताव कम्पयूटर एवं अन्य यंत्र, फाईल ट्रेकिंग पद्धति हेतू वर्तमान वैबसाईट के स्तर में वृद्धि, संदेश के माध्यम से आवेदन की स्थिति, रिकार्ड का डिजिटाईजेशन, वीडियोकान्फेंसिंग की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रस्तुत की । भारत की सरकार ने 21.00 लाख रूपए की राशि समस्त स्वीकृत राशि का 70 प्रतिशत जारी कर दी। यह गतिविधियां ो 1 30 प्रति ात राशि जारी न करने की वजह से पूरी नहीं की जा सकी।

6.9 सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्रचार :

वित्तिय वर्ष 2010-2011 के लिये भारत सरकार ने पत्र कमांक 1/6/2010-आई.आर दिनांक 29.09.2010 के द्वारा इस योजना के तहत कार्यशालाएं, विचारमंच, सम्मेलन आदि आयोजित करने के लिए 1.50 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की। राज्य सूचना आयोग द्वारा रिपोर्टाधीन समय के अंत तक स्वीकृत राशि खर्च नहीं की गई। हरियाणा राज्य सूचना आयोग द्वारा निर्णय लिया गया कि इन संगोष्ठियां-सह-कार्यशालाओं का आयोजन हरियाणा लोक प्रशासन सस्थान, पंचकूला की सहायता से मास जनवरी एंव फरवरी, 2011 में किया जायेगा।

अध्याय ७

अधिनियम के बारे में जागृति पैदा करना

- 7.1 सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 26 राज्य सरकार को जनता की समझ को उन्नत करने के लिए विशेषकर पिछड़े सम्प्रदायों में अधिनियम के तहत दिए गए अधिकारों को किस तरह प्रयोग में लाने सम्बन्धी विकासशाील एवं शैक्षणिक कार्यक्रमों को आयोजित करके जनता में जागृति लाने के लिए निर्देशित करता है। अधिनियम की धारा 26 की उप धारा 1 (डी) सरकार पर जन प्राधीकरणों के राज्य जन सूचना अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और स्वयं जन प्राधिकारियों द्वारा प्रासंगिक प्रशिक्षण सामग्री का प्रयोग करने के लिए उपलब्ध करवाने का उत्तरदायित्व डालता है। अधिनियम के प्रभाव ॥ली कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने अपनी प्रथम व द्वितीय रिपोर्ट में जनता के प्रशिक्षण एवं जागृति के लिए एक कार्यक्रम शुरू करने का सुझाव दिया। सरकार का जवाब निम्न प्रकार से है:
 - (क) सहायक राज्य जन सूचना अधिकारी / राज्य जन सूचना अधिकारी / प्रथम अपीलीय अधिकारी के लिए प्रशिक्षण कार्यकम : –

राज्य सरकार ने लोक प्रशासन संस्थान, हिरयाणा, (हिप्पा) गुड़गांव को इस सम्बन्ध में नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है । पदासीन अधिकारियों जिसमें सहायक राज्य जन सूचना अधिकारी / राज्य जन सूचना अधिकारी आफिसर / प्रथम अपीलीय अधिकारी शामिल हैं, को नियमित अंतरालों पर हिप्पा एंव अन्य विद्युत जन उपयोगी सेवा विभाग का हरियाणा विद्युत निगम लिमिटड, तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान और ग्रामीण विकास संस्थान, नीलोखेड़ी प्रशिक्षण दे रहे हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम पर कार्यरत विभिन्न जन प्राधिकरणों के अन्य कर्मचारियों को भी सचेत करने और उन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित मामलों को निपटाने की जानकारी देने के लिए भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(ख) निर्देशिका एवं उपयोगी मार्गदर्शिका का प्रकाशन : – आयोग ने अपनी प्रथम एवं द्वितीय रिपोर्ट में सिफारिश की कि अधिनियम के तहत सूचना तक पहुंचने के अधिकार का प्रयोग करने के लिए नागरिकों की सहायता सरकारी भाषा में एक मार्गदर्शिका का संकलन करना चाहिए। पदासीन सहायक राज्य जन सूचना अधिकारी/राज्य जन सूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी की एक निर्देशिका तैंयार करने की सिफारिश भी आयोग ने की। अब राज्य सरकार की सिफारिशों पर वर्ष 2008 में (हिप्पा) गुड़गांव ने पदासीन अधिकारियों की एक निर्देशिका और सूचना का अधिकार अधिनियम पर एक उपयोगी (उपयोगकर्ता) मार्गदर्शिका और एक 'रैडी रैकनर' राज्य के नागरिकों के उपयोग के लिए अंग्रेजी और हिन्दी में प्रकाशित किए गए हैं।

अधयाय - 8

सुधार के लिए सिफारिशें

सूचनाधिकार अधिनियम, राज्य सूचना आयोग और जन प्राधिकारियों दोनों पर ही अधिनियम के प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिए कारगर उपायों का सुझाव देने की जिम्मेदारी डालता है। आयोग में सुधारों के लिए राज्य सरकार एवं जनप्राधिकारियों के लिए की गई सिफारिशें निम्नलिखित हैं:-

(ा) प्रथम अपीलों का निपटान: -

अधिनियम के धारा 19 के उप धारा (1) मामले को जन प्राधिकरण के अपीलीय प्राधिकारी के पास उस समय ले जाने की व्यवस्था देता है जब जन प्राधिकरण के राज्य जन सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना से अपीलकर्ता सन्तुष्ट नहीं होता । प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को मामला 30 दिनों के अन्दर या उस बढ़ाये गए समय लेकिन अपील के दायर करने से 45 दिनों से अधिक नहीं, निपटाना होता है। कई केसों में आयोग ने अनुभव किया है कि प्रथम अपीलीय प्राधिकारी अपील पर देरी से या फिर उसे निपटाने के लिए बिल्कुल ही कार्रवाई नहीं करता। इस अप्रत्याशित परिणाम ने सूचना देने में देरी कर दी या अपीलकर्ता को मामला द्वितीय अपील के लिए आयोग में ले जाने के लिए बाध्य करता है । इससे देरी, अतिरिक्त खर्च और मानसिक पीड़ा होती है । इसलिए आयोग अधिनियम के तहत सम्बन्धित कर्मचारियों के दृष्टिकोण एवं कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए उनको प्रशिक्षण देने की सिफारिश करता है ।

- (II) नागरिकों की जरूरतों के प्रति सचेत करने के उद्देश्य से राज्य जन सूचना अधिकारियों को भी प्रशिक्षण की जरूरत है । इसलिए राज्य जन सूचना अधिकारियों के लिए एक वृहद प्रशिक्षण का दौर, उन पर अधिनियम द्वारा डाली गई जिम्मेदारियों के निष्पादन के लिए, चलाया जाए ।
- (III) एक बहुत बड़ी संख्या में सूचना अधिकार अधिनियम अनुरोधों का जन प्राधिकारियों द्वारा इनसे अपेक्षित सेवाओं का निष्पादन करने में उनकी असलफता के कारण चिंता पैदा कर

- देता है । आयोग का विचार है कि सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 4 (1)(बी) के तहत कर्तव्यों, पद्धतियों, जवाबदेहियों और जन प्राधिकारियों द्वारा अपने कार्यों के निष्पादन हेतु स्थापित किए गए मापदंडों के आंशिक भाग का ज्यों का त्यों प्रकट करने में नागरिक चार्टर की सभी विशेषतायें निहित हैं।
- (iv) इसिलए धारा 4(1)(बी) के तहत सूचना का प्रकटीकरण नागरिक अधिकारी पत्र (चार्टर) का एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग निर्मित करता है तािक जन प्राधिकारी नागरिकों के प्रति अपनी वचनबद्धताओं को लेकर जागरूक रहें । सभी जन प्राधिकारियों, जब भी आवश्यक हो, अपनी कार्य पद्धतियों का पुनः अवलोकन करना चािहए । जनता के नाराज करने वाली कार्य पद्धतियों का लोगों के बीच वाद विवाद करना चािहए । जब कभी आवश्यक हो नागरिकों को सूचना अधिकार अधिनियम द्वारा प्रकट किए गए मापदंडों को प्रभावी बनाने के लिए सक्षम होना चािहए ।
- (v) धारा 4(1)(बी) के तहत प्रकटीकरण में एक्ट द्वारा वांछित सभी विवरण होने चाहिए और इन विवरणों को कुछ समय के बाद अध्यत्तम करना चाहिए । आयोग को जन प्राधिकारियों को अपर्याप्त सूचना के प्रकटीकरण या इस धारा के तहत वांछित विवरणों को प्रकट न करने के लिए कानूनी दंड देने के लिए अधिकृत होना चाहिए ।
- (vi) इन विवरणों को अपनी वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित करना जन प्राधिकारियों का कर्तव्य होना चाहिए ।
- (vii) यह सुझाव दिया जाता है कि अधिनियम को लागू करने के प्रति अधिकारियों के व्यवहार करने के प्रति अधिकारियों के व्यवहार के बारे में एक विशेष स्तम्भ (कॉलम) उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में शामिल कर दिया जाए । राज्य जन सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को अपनी स्वतः मूल्यांकन रिपोर्ट में उन द्वारा प्राप्त आवेदनों/अपीलों और उनके निपटान को आवश्यक रूप से शामिल करना चाहिए ।

अनुबंध – 'क'

हरियाणा सरकार प्रशासनिक सुधार विभाग अधिसूचना

संख्या 99/सी.ए 22/2005/एस 27/2009-सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 22) की धारा 27 की उप-धारा (2) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, उसके द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन सूचना उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

- 1. (1) ये नियम हरियाणा सूचना अधिकार नियम, 2009 कहे जा सकते हैं।
 - (2) ये प्रथम जनवरी, 2010 से लागू होंगे।

परिभाषाएं

- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –
 (क) "अधिनियम" से अभिप्राय है, सूचना का अधिकार, अधिनियम,
 2005 (2005 का अधिानियम 22);
 - (रू) "आयोग" से अभिप्राय है, हरियाणा सूचना आयोग;
 - (ग) "आदर्श प्ररूप" से अभिप्राय है, इन नियमों से संग्लन आदर्श प्ररूप;
 - (घ) "धारा" से अभिप्राय है अधिनियम की धारा ।
 - (2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्दों तथा अभिव्यक्तियों, किन्तु परिभाषित नहीं है के वही अर्थ होंगे जो इन्हें अधिनियम में दिए गए हैं।

सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन – धारा 2 (ड), 6 तथा 27

- 3. (1) कोई व्यक्ति, जो अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय कोई सूचना प्राप्त करना चाहता है, इन नियमों के नियम 5 के उप-नियम (1) में यथा विनिर्दृिष्ट फीस के साथ राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्ररुप 'क' में आवेदन करेगा ।
 - (2) उप-नियम (1) के अधीन मिल गए आवेदन के प्राप्त होने पर, राज्य सूचना अधिकारी/राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी, आवेदन को इसके टोकन की रसीद देगा।

फीस जमा करना अधानियम की धारा 6

> 4. (1) फीस राज्य लोक सूचना अधिकारी के पास या तो उचित रसीद सहित नगदी में या बैंक ड्राफट द्वारा, भारतीय पोस्टल आर्डर द्वारा या खजाना चालान द्वारा निम्नांकित शीर्ष में जमा करवाई जायेगी: –

मुख्य शीर्ष ... 0070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं

उप – मुख्यशीर्ष ... 60 – अन्य सेवाएं

लघु शीर्ष ... 800 – अन्य प्राप्तियां

उप – शीर्ष ... 86 – शुल्क सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत

विस्तृत शीर्ष ... 0070 – अन्य प्रशासनिक सेवाएं – 60 – अन्य सेवाएं – 800 – अन्य प्राप्तियां – 86 – शुल्क सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत.

- (2) शुल्क की राशि उप-नियम (1) में संदर्भित शीर्षक में जमा की जाएगी: परन्तु राज्य के बोर्ड, निगम एवं अन्य स्वायत निकाय आवश्यक शुल्क को अपने द्वारा बनाए गए खातों में जमा करवा सकते हैं।
- (3) नियम 3 के उपनियम (1) के अधीन प्रस्तुत किए गए आवेदन के प्राप्त होने पर, राज्य लोक सूचना अधिकारी आवेदन की समीक्षा करेगा तथा निर्धारित करेगा कि फीस सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदक द्वारा संघ की जानी अपेक्षित है ।
- (4) उप-नियम (3) के अधीन निर्धारित फीस की धारा 7 की उप धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना देने को सुनिश्चित करने के लिए आदर्श प्ररूप 'ख' में राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा शीघ्रता से आवेदक को सूचित की जाएगी।
- (5) यदि आवेदक उप-नियम (4) के अधीन उसको दी गई सूचना के जारी होने के बाद पन्द्रह दिनों की अविध के भीतर अपेक्षित फीस जमा करवाने में असफल रहता है, तो यह अनुमान लगाया जाएगा कि आवेदक चाही गई सूचना प्राप्त करने में दिलचस्पी नहीं रखता है, और उसका आवेदन फाइल कर दिया गया समझा जाएगा ।

फीस की प्रमात्र धारा 6 तथा 7

- (1) धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन सूचना प्राप्त करने के लिए
 आवेदन के साथ 50/- रूपये की फीस के साथ होगा।
 - (2) धारा ७ की उप-धारा (1) के अधीन सूचना उपलब्ध करवाने के लिए, आवेदक से निम्नलिखित दरों पर फीस प्रभारित की जाएगी, अर्थात:-
 - (क) v-4 या v-3 आकार के कागज पर बनाई गई प्रतिलिपि के प्रत्येक पृष्ठ के लिये 2/- रूपये; तथा

- (ख) यदि सूचना खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट से भिन्न बडे आकार के कागज पर उपलब्ध करवाई जाती है, तो वास्तवित लागत प्रभारित की जाएगी।
- (3) धारा ७ की उप-धारा (5) के अधीन सूचना उपलब्ध कराने के लिए आवेदक से निम्निलिखित दरों पर फीस प्रभारित की जाएगी, अर्थातु:-
 - (क) फलोपी में सूचना प्राप्त करने के लिए 50 / रूपये;
 - (ख) डिस्किट में सूचना प्राप्त करने के लिए 100 / रूपये: तथा
 - (ग) यदि चाही गई सूचना वैसे स्वरूप की है, जो कि मुद्रित
 दस्तावेज में है, जिसका मूल्य नियत किया गया है, तब वह
 सूचना उस मुद्रित दस्तावेज के लिए नियत मूल्य प्रभारित
 करने के बाद उपलब्ध कराई जाएगी । तथापि, यदि, केवल
 ऐसे मुद्रित दस्तावेज का उदाहरण या पृष्ठ मांगा गया है, तब
 10 / रूपए प्रति पृष्ठ की फीस प्रभारित की जाएगी ।
- (4) अभिलेख के निरीक्षण के लिए कोई भी फीस प्रभारित नहीं की जाएगी यदि ऐसा निरीक्षण केवल एक घण्टे के लिए किया गया है तथापि, यदि निरीक्षण एक घण्टे से अधिक की अवधि के लिए किया गया है तब प्रथम घण्टे से अधिक प्रत्येक पन्द्रह मिनट के लिए 10 / रूपए की फीस प्रभारित की जाएगी । उपरोक्त पन्द्रह मिनट की अवधि का प्रत्येक अंश पन्द्रह मिनट की पूर्ण अवधि के रूप में अनुमानित किया जाएगा तथा यह पन्द्रह मिनट की संपूर्ण अवधि के रूप में प्रभारित किया जाएगा ।

अपील प्राधिकारियों के समक्ष अपील की प्रक्रिया धारा 19(1) तथा (3)

- 6. (1) अपील के ज्ञापन में निम्निलिखित सूचना होगी, अर्थात :-
 - (क) अपीलार्थी का नाम व पता, जिसमें दूरभा ा/मोबाईल नम्बर/ई-मेल पता, यदि कोई हो, सम्पर्क का विवरण शामिल हो;
 - (ख) राज्य लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, कार्यालय पदनाम तथा पता;
 - (ग) प्रथम अपील प्राधिकारी का सरकारी पद तथा पता जिसके निर्णय के विरूद्ध अपील दायर की गई है;
 - (घ) संख्या, यदि कोई हो, सहित आदेश के विवरण जिसके विरूद्ध अपील की गई है;
 - (ड) अपील में जाने के लिए संक्षिप्त तथ्य;
 - (च) प्रार्थना या चाही गई राहत;
 - (छ) प्रार्थना या राहत के लिए आधार;
 - (ज) अपीलार्थी द्वारा सत्यापन; तथा
 - (झ) अन्य कोई सूचना जो आयोग अपील नि यि करने हेतू आवश्यक समझें।
 - (2) अपीलार्थी सरकारी प्रयोजन के लिए अपील के ज्ञापन की तीन प्रतियां पेश करेगा ।
 - (3) आयोग को की गई प्रत्येक अपील निम्नलिखित दस्तावेजों सहित होनी चाहिए, अर्थात :-
 - (क) आदेशों या दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित प्रतियां जिसके विरूद्ध अपील दायर की जानी है;

- (ख) अपीलार्थी द्वारा अपील में निर्दिष्ट किए गए विश्वसनीय दस्तावेजों की प्रतियां;और
- (ग) अपील में निर्दिष्ट किए गए दस्तावेजों की सूची;

परन्तु मामले के पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने पर अपील खारिज नहीं की जाएगी लेकिन औपचारिकताएं पूर्ण करने हेत् अपीलार्थी को कहा जाएगा ।

अपील नि यि करने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया धारा 19 (10)

- (7) अपील का नि यि करने से पूर्व आयोग, :-
 - (क) सम्बद्ध व्यक्तियों को नोटिस तामील करेगा;
 - (ख) अपील के सर्मथन में कोई साक्ष्य लेगा, जो सम्बद्ध व्यक्तियों से मौखिक या लिखित रूप में लिया जा सकता है;
 - (ग) सम्बद्ध व्यक्तियों से शपथ पर या शपथ पत्र लेते हुए निरीक्षण करेगा;
 - (घ) दस्तावेजों या किन्हीं अभिलेखों या उनकी प्रतियों को पेश करेगा या निरीक्षण करेगा;
 - (ड) किसी अपील के तथ्यों को प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से जांच करेगा या विस्तार में तथ्यों की अपेक्षा करेगा यदि ऐसा समुचित प्रतीत हो, राज्य लोक सूचना अधिकारी या किसी अन्य वरिष्ठ अधिकारी जिसने प्रथम अपील का निर्णय किया था जैसी भी स्थिति हो, की सुनवाई करेगा; तथा
 - (च) राज्य लोक सूचना अधिकारी या किसी वरिष्ठ अधिकारी, जिसने प्रथम अपील का निर्णय किया था या कोई अन्य व्यक्ति जिससे साक्ष्य आवश्यक समझा जाए, से शपथ-पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करेगा।

नोटिस के तामील का ढंग धारा 19(10)

- आयोग सम्बद्ध व्यक्तियों को निम्निलिखित ढंगों में से किसी एक में नोटिस तामील कर सकता है, अर्थात् : –
 - (क) आदेशिका तामीलकर्ता के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से (दस्ती);
 - (ख) रिजस्टर्ड डाक, स्पीड पोस्ट, पोस्टल प्रमाण-पत्र, के अधीन, क्रियर या ऐसे ही अन्य साधनों द्वारा;
 - (ग) इलेक्ट्रॉनिक मेल द्वारा, यदि ई-मेल पता दिया गया हो; या
 - (घ) समाचार-पत्र में प्रकाशन द्वारा।

अपीलार्थी या शिकायतकर्ता की व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति धारा (19)

> 9. अपीलार्थी या शिकायतकर्ता को, जैसी भी स्थिति हो, सुनवाई की तारीख से कम से कम पन्द्रह दिन ठीक पूर्व सूचित किया जाएगा। यदि शिकायतकर्ता / अपीलार्थी सुनवाई की तिथि को उपस्थित होने में असफल रहता है तो आयोग मामले का गुणागुण आधार पर निर्णय करेगा:

परन्तु जहाँ आयोग की संतुष्टि हो गई है कि ऐसी परिस्थितियांविद्यमान है जिनके कारण शिकायतकर्ता / अपीलार्थी को आयोग की सुवाई में उपस्थित होने से रोका गया है तब वह शिकायतकर्ता / अपीलार्थी को अन्तिम निर्णय देने से पूर्व सुनवाई के लिये दूसरा अवसर प्रदान कर सकता है।

आयोग द्वारा आदेश धारा 19 (10)

10. (1) आयोग लिखित में आदेश करेगा तथा सम्बद्ध पक्षकारों की उपस्थिति में उसे स्नाएगा।

(2) सम्बद्ध पक्षकार, आयोग से, आदेश की प्रति प्राप्त कर सकता है।

निरसन, तथा व्यावृति.

 हिरयाणा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, इसके द्वारा, निरसित किए जाते हैं:

परंतु इस प्रकार से निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्रवाई, इन नियमों के अनुरूप उपबन्ध के अधीन किया गया आदेश अथवा की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

आदर्श प्ररूप 'क' {देखिए नियम 3 (1)}

सेवा में

राज्य लोक सूचना अधिकारी / राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी,

(पते सहित कार्यालय का नाम)

- (1) आवेदन का पूरा नाम
- (2) पता
- (3) अपेक्षित सूचना के विवरण-
 - (i) सूचना की विषय वस्त्*
 - (ii) अवधि जिससे सूचना सम्बन्धित**
 - (iii) अपेक्षित सूचना का वर्णन***
 - (iv) क्या सूचना डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप में अपेक्षित है(वास्तविकता डाक प्रभार अतिरिक्त फीस में शामिल होंगे)
 - (v) यदि डाक द्वारा (सामान्य, रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट)

स्थान:

तिथि:

- * निर्दिष्ट किये जाने वाले विषय का विस्तृत प्रवर्ग (जैसा कि अनुदान/सरकारी भूमि/ सेवा मामले/ अनुज्ञप्तियां इत्यादि)।
- ** सम्बद्ध अवधि जिसके लिए सूचना निर्दिष्ट की जानी अपेक्षित है।
- *** सूचना के विशिष्ट विवरण निर्दिष्ट किये जापे अपेक्षित है।

पवती	
आपका आवेदन दिनांक डायरी संख्या	द्वारा प्राप्त हुआ
	लोक सूचना अधिकारी ⁄राज्य सहायक
	लोक सूचना अधिकारी के हस्ताक्षर
	(विभाग/कार्यालय का नाम)

		, ,
आदश	प्रक्रप	ख

{देखिए नियम 4(4)}

प्रेषक

राज्य लोक सूचना अधिकारी का पदनाम

सेवा में

आवेदक का नाम

आवेदक का पता।

महोदय,

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन सूचना के लिए निम्न हस्ताक्षरित को सम्बोधित किए गए आपके आवेदन दिनांक के संदर्भ में।

- 2. यह सूचना भेजने के लिए अतिरिक्त फीस रूपये है।
- 3. आपको हरियाणा सूचना का अधिकार नियम, 2009 के नियम 4 के उप-नियम (1) में यथावर्णित किसी ढंग के माध्यम से अर्थात या तो उचित रसीद के साथ नकदी में, बैंक ड्राफ्ट द्वारा, भारतीय पोस्टल आर्डर द्वारा या खजाना चालान द्वारा भुगतान करने का अनुरोध किया जाता है, तथा इस कार्यालय को उसके सबूत की एक प्रति भेजने के लिए अनुरोध किया जाता है ताकि आपको अपेक्षित सूचना दी जा सके।

राज्य लोक सूचना अधिकारी

उर्वशी गुलाटी, मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

अनुलग्नक - ख अवधि 1.1.2010 से 31.12.2010 सूचना के अधिकार अधिनियम - 2005 के अंतर्गत सूचना हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्र एंव उनके निपटान का रिजस्टर अधिनियम में राज्य सूचना आयोग प्राप्त शुल्क राशि (रूपयों इस अधिनियम के प्रबंध, भावना व आश्य लोक प्राधिकरण का नाम अधिनियम इस कमांक निहित व्यवस्थाओं में हेतु लोक प्राधिकरणों द्वारा किये गये प्रयत्नों विकास / उत्थान / नवीनीकरण / सुधार प्रार्थना भेजी गई में) (संक्षिप्त शिकायत / अपील पत्रें की अनुसार की वास्तविक रिपोर्ट संशोधन अथवा अन्य कानून निर्माण व कारणों सहित) सामान्य नियम या किसी अन्य बात जो संख्या प्रार्थना अस्वीकार कि सूचना के अधिकार अधिनियम के पत्रों की संख्या अनुरूप हो और उन पर की गई कार्यवाही संबंधी अगर कोई संस्त्ति प्राप्त हुई हो। 2 ख क ख क आवेदन की अभिलेखों धाारा १८ धाारा १९ के धाारा ८ धाारा १ के अंतर्गत फीस 6(1) की फीस अंतर्गत अंतर्गत अंतर्गत 7(3) विभागाध्यक्ष जन प्राधिकारियों द्वारा इस एक्ट को लागू कुषि निदेशक 5411 225 0 0 10405 करने के सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं। सी०आई०डी० (ए०डी०जी०पी० 22 1762 93 0 0 296 सी0आई0डी0 (एच0) विकास एंव पंचायते (निदेशक) 3 229 0 0 0 0 6750 1149 प्रारम्भिक शिक्षा विभाग अपीलीर्थियों को आर.टी.आई.एक्ट, 2005 से -50 1161 0 0 0 10 20150 (निदेशक) संबंधात जानकारी एंव मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

5	विद्युतीय एंव सूचना प्रोंद्योगिकी (निदेशक)	3 0	0	0	0	0	700	3 0	आर.टी.आई. एक्ट को लागू करने के लिये भरसक प्रयास किये जा रहे है।	_
6	स्वास्थ्य सेवाएं (निदेशक)	196	0	0	0	0	500	28	-	-
7	हरियाणा एड्ट्स नियंत्रण समीति (अधयक्ष)	61	0	0	0	0	890	200	-	-
8	गृह रक्षी एंव नागरिक सुरक्षा (सामान्य नियंत्रण)	31	0	0	0	0	800	964	हर जिलें में जन प्राधिकारी की नियुक्ति की गई। उन्हें कानून को सख्ती से पालन करने के निर्देश दिये गये।	-
9	बागवानी विभाग (निदेशक)	144	3	7	1	2	5550	5701	-	11251
10	सत्कार विभाग (निदेशक)	10	0	0	0	0	150	50	इस अधिनियम की भावना एंव मंशा को लागू	_
									करने के लिये प्रशासन द्वारा अपिलार्थियों को	
									सत्य तथ्यों पर आधारित जानकारी प्रदान की	
									गई	
11	उद्योग एंव वाणिज्य(निदेशक)	536	0	0	0	100	27246	16004	-	_
12	विधि एंव विधयी विभाग (एल0आर0 एवं सचिव)	3 3	0	0	0	0	600	3 58	-	_
13	खान एंव भूविज्ञान विभाग (निदेशक)	102	0	0	0	0	3 920	1982		_
14	पुलिस विभाग (सामान्य निदेशक)	13 607	206	4	0	0	547410	199989	-	_
15	मुद्रण एंव लेखन सामग्री विभाग (नियंत्रक)	3 8	0	0	1	0	1950	458	-	-
16	लोक निर्माण विभाग (बी0 एंड आर0)(ई0आई0सी)	1267	1	0	9	0	3 2080	24557	इस संबंध में भरसक प्रयास किये गये है।	-
17	ग्रामीण विकास विभाग (निदेशक)	115	0	0	0	0	2900	1443	-	-

18	विज्ञान एंव तकनीकी विभाग	31	0	0	0	0	600	430		-
	(निदेशक)									
19	खेल एंव युवा कल्याण (निदेशक)	92	0	0		3 3 7 5	0	0	_	-
20	आपूर्ति एंव निपटान विभाग (निदेशक)	14	2	0	0	0	550	1074	_	-
21	तकनीकी शिक्षा विभाग (निदेशक)	886	0	0	0	0	22925	15106	1. धारा 4(1) की उप धारा (बी0) की आवश्यकताओं के अनुसार वेबसाईट पर रखते हुये जनता को अधिक से अधिक सूचना उपब्धत करवाने के लिये कदम उठाये गये हैं। 2. सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध करवाने के लिये मुख्यालय व क्षेत्रिय कार्यालयों में राज्य जन सूचना अधिकारियों को पदासीन किया गया है। 3. इस अधिनियम के तहत सूचना निर्धारित समय अर्थात् 30 दिनों के अन्दर प्रदान की जा रही है।	-
22	परिवहन आयुक्त	557	4	0	0	0	103 90	3 623	हैड क्वाटर से समय – 2 पर जो निर्दे7 प्राप्त होते है उसके अनुसार आर.टी.आई. एक्ट को लागू करने के लिये भरसक प्रयास किये जा रहे है।	-
23	चौकसी विभाग (जांच पड़ताल अधिकारी)	8	0	0	0	0	50	70	लोक प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम को लागू करने के लिये अच्छे प्रयास किये जा रहे है।	-

24	राज्य चौकसी ब्यूरो (निदेशक)	26	0	0	0	0	180	0	उच्च अधिकारी द्वारा रिकार्ड से संबंधित	-
									समय-2 पर जो निर्देश प्राप्त होते है उनका	
									अनुसरण किया जाता है।	
	चौकसी विभाग, हरियाणा	40					1716	1501		
25	चाकसा विभाग, हारयाणा	42	U	0	U	U	1715	1581		
26	गृह विभाग	65	0	0	0	10	2030	615	-	_
	कुल योग	19599	239	11	11	3 497	702203	281169	0	0

						बोर्ड	एवं नि	गम		
1	कृषि उद्योग निगम	3 9	0	0	0	0	1900	527	-	-
2	सहकारी आवास प्रसंग लि0 (अध्यक्ष)	3 5	0	0	0	0	13 60	524	अधिनियम की भावना व आकांक्षा के अनुसार लागू किया जा रहा है।	-
3	सहकारी आपूर्ति एंव विपणन प्रसंग लि0 (हैफेड़) (अध्यक्ष)	184	0	0	0	0	10880	16802	आर.टी.आई. एक्ट के तहत अपीलार्थियां को जानकारी प्रदान की गई।	-
4	विद्युत प्रसारण निगम (अध्यक्ष)	3 16	0	0	0	0	10180	27573	जन प्राधिकरी एंव प्रथम अपीलीय अधिकारियों द्वारा निर्णय के समय पर राज्य सूचना आयोग में आर.टी.आई.एक्ट के तहत जानकारी प्रदान करने के लिये प्रयास किये गये	
5	विद्युतीय विकास निगम लि0 (हारट्रोन)	93	0	0	0	0	3 600	1664	एक्ट को लागू करने के लिये प्रयास किये गये।	

	()		T _	_	I _	1 -		T	
6	वित्त निगम (अध्यक्ष)	96	7	0	0	0	4450	6728	1. अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(बीo)(1) — —
									से (17) तक वर्णित दस्तावेजों के प्रकाशन
									संबंधि कार्यवाही की परिपालना सभी सूचना
									निगम की वेबसाईट www.hfcindia.org
									पर उपलब्धा है करवाकर पहले ही कर दी
									गई है।
									2. निगम ने मुख्यालय पर राज्य जन सूचना
									अधिकारियों और सहायक जन सूचना
									अधिकारियों की नियुक्ति /पदासीन कर दिया
									गया है। निगम ने आगे शाखा प्रबंधाकों को ग
									राज्य जन सूचना अधिकारियों को
									शाखा /जिला स्तर पर भी पदासीन कर दिया
									गया है।
									मुख्यालय पर निगम का प्रबंधाक निदेशक
									प्रथम अपीलीय प्राधिकारी है। इस अधिनियम
									के प्रचार करने के संबंधा में निगम ने एक
									परिपत्र दिनांक ३ ०.११.२००५ और १.१२.२००५
									को जारी किया था सभी शाखा/जिला स्तार
									के शाखा व्यवस्थापको ⁄राज्य जन सूचना
									अधाकारियों ⁄ सहायक जन सूचना अधाकारी
									का विस्त्त विवरण भी सूचना पटल पर
									प्रर्दिशत करने के लिये निर्देशित कर दिया
									गया हैं।
									गुला हा

7	कुरूक्षेत्र विकास बोर्ड (अध्यक्ष)	3 0	0	0	0	0	1100	1794	_	-
8	राज्य सैनिक बोर्ड (सचिव)	41	0	0	0	0	1070	110	1	-
9	नवीकरण उर्जा विकास ऐजेंसी (हरेडा) (अध्यक्ष)	18	0	0	0	0	410	0	ı	-
10	बीज प्रमाणीकर्ण संस्था (अध्यक्ष)	10	0	0	0	0	450	3 20	1	-
11	बीज विकास निगम समीति (अध्यक्ष)	54	0	0	0	0	2700	4858	ı	1
12	प्रयटन विकास निगम (अध्यक्ष)	119	0	0	0	0	4660	2761		-
13	शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) (मुख्य प्रशासक)	193 5	0	0	0	0	82240	9820	जन प्राधिकरी एंव प्रथम अपीलीय अधिकारी को आर.ओ.आई एक्ट की भवाना को लागू करने के लिये दिशा निर्देश प्रदान किये गये।	-
14	भण्डारगार निगम (अध्यक्ष)	71	0	0	0	0	3 100	5029	आर.टी.आई. एक्ट के तहत अपीलार्थियां को जानकारी प्रदान की गई।	
15	लोकायुक्त हरियाणा	29	0	0	0	0	800	2010	ब्यौरा अनुबंध के साथ में है।	-
16	श्री माता शीतला देवी पूला स्थल बोर्ड गुडगांव	5	0	0	0	0	0	220	मेलों के समय और अन्य प्रकार से भी जनता को सूचना अधिकार अधिनियम के लाभों के बारे में शिक्षित किया जाता है।	-

17	चौधारी चरण सिंह हरियाणा कृषि	007	,	,	_	•	•	10577	जन प्राधिकारियों की जागरूकता के लिये	
	-	297	1	l	"	0	0	10567		
	विश्व विद्यालय								स्पेशल ट्रेनिंग प्राग्राम किये गये और अन्य	
									अधिकारियों ने मानव संसाधन विकास	
									निदेशालय द्वारा आयेजित वर्कशोप में नियमित	
									रूप्से भाग लिया	
18	कर्मचारी चयन आयोग, हरियाणा	3 3 20	800	50	0	0	107592	0	सूचना अधिकार अधिनियम के को लागू	-
									करने के लिये जन प्राधिकारी द्वारा प्रयास	
									किये गये आयोग द्वारा अपनी website:	
									www.hss.gov.in लांच की गई।	
									ı	
19	स्नातकोत्तर चिकित्सा विज्ञान	8	0	0	0	0	160	0	इस कार्यालय में प्राप्त किये गये सभी केसों	_
	संस्थान रोहतक (निदेशकऋ)								को सूचना अधिकार अधिनियम के अनुसार	
									निपटाया गया और अधिनियम को लागू करने	
									के लिए प्रयतन किये गये।	
20	राज्य सूचना आयोगृ, हरियाणा	143	0	0	13	0	6100	1155		
21	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थय मीशन	42	0	0	0	0	13 40	0		-
	कुल योग	6885	808	51	13	0	244092	97462	0	0

						म्	इल आयु	क्त		
1	आयुक्त गडगांव मंडल, गुडगांव	921	0	0	0	0	46850	403 9	इस एक्ट के निर्देशों के अनुसार एक्ट की अनुपालना हेतु सभी प्रकार के प्रयास किये गये।	-

2	आयुक्त हिसार मण्डल हिसार		को अस्वीकार कर दिया गया क्यांकि	I		-	2580	4710		के तहत दस्तावेजां को तुरंत निपटान किया गया।	_
			मिली।								
3	आयुक्त रोहतक मण्डल, रोहतक	72	0	0	0	0	1702	171		_	_
	कुल योग	993	0	0	0	0	5113 2	8920	_	-	_
						7	उपायुक्त	Ī			
1	उपायुक्त फरीदाबाद	291	0	0	0	0	13 200	4510		_	_
2	उपायुक्त हिसार	67	1	0	0	0	2580	4710		के तहत दस्तावेजां को तुरंत	-
										निपटान किया गया।	
3	उपायुक्त मेवात	274	1	0	0	0	3 840	1770		_	_
4	उपायुक्त रिवाडी	688	0	0	0	0	13 985	964			_
5	उपायुक्त सिरसा	49	0	0	0	590	0	0	रिर्पो	ट समय पर प्रदान की गई।	_

कर्म गोग	12.40	_		•	590	3 3 605	11054	0	
कुल याग	13 69	2	l o	U	590	3 3 005	11954	l o	l o

					তি	नला एं	व सत्र न	यायधीः	श	
1	जिला एंव सत्र न्यायधीश,,अम्बाला	29	15	1		0	1120	880	 उपलब्ध सूचना जितना जल्दी हो सके निर्धारित समय प्रदान की जाती है। 2. हर समय जानकारी प्रदान की जाती है। 	-
2	जिला एंव सत्र न्यायीश, भिवानी	6	0	0	0	0	1730	0	इस एक्ट के तहत दस्तावेजां को तुरंत निपटान किया गया।	कोई अनुशंसा प्राप्त नहीं हुई।
3	जिला एंव सत्र न्यायधीश, फरीदाबाद	30	0	0	0	0	1860	0	-	-
4	जिला एंव सत्र न्यायधीश, फतेहाबाद	4	0	0	0	0	220	0	-	-
5	जिला एंव सत्र न्यायधीश, गुडगांव	26	3	0	0	0	1020	0	-	-
6	जिला एंव सत्र न्यायधीश, हिसार	22	0	0	0	0	1210	80	-	-
7	जिला एंव सत्र न्यायधीश, जींद	2	0	0	0	0	100	0	_	इस एक्ट के तहत दस्तावेजां को तुरंत निपटान किया गया।
8	जिला एंव सत्र न्यायधीश, झज्जर	90	0	0	0	0	810	270	-	-
9	जिला एंव सत्र न्यायधीश, कैथल	6	4	0	0	0	3 00	0	इस अधिनियम की भावना एंव मंशा को अपनाने व लागू करने के सभी प्रयास किये गये हैं।	अभी तक कोई अनुशंसा प्राप्त नहीं हुई।
10	जिला एंव सत्र न्यायीश, करनाल	37	0	0	0	0	1990	0	-	-
11	जिला एंव सत्र न्यायधीश, कुरूक्षेत्र	12	0	0	0	0	930	0	-	-

12	जिला एंव सत्र न्यायधीश, महेन्द्रगढ	6	0	0	0	0	200	100	_	_
13	जिला एंव सत्र न्यायधीश, पंचकूला	11	5	2	0	0	640	0	अपीलार्थियों को दस्तावेजों से संबंधित जानकारी प्रदान की गई।	-
14	जिला एंव सत्र न्यायधीश, पानीपत	4	0	0	0	0	200	0	-	-
15	जिला एंव सत्र न्यायधीश, रिवाडी	15	0	0	0	0	480	100	-	-
16	जिला एंव सत्र न्यायधीश, रोहतक	18	2	0	0	0	400	480	-	-
17	जिला एंव सत्र न्यायधीश, सिरसा	13	2	0	0	0	500	250	सूचना प्रदान की गई ।	-
18	जिला एंव सत्र न्यायधीश, सोनीपत	7	0	0	0	0	3 50	10	-	-
19	जिला एंव सत्र न्यायधीश, यमुनानगर	3	0	0	0	0	50	0	-	-
	कुल योग	3 41	31	3	0	0	14110	2170	0	0

	प्रशासकीय सचिव									
1	1 मुख्य सचिव हरियाणा 123 0 0 0 0 3735 3203 58 -									
2	राजनैतिक विभाग	18	0	0	0	0	410	150	जानकारी भेजी गई, सभी वित्तरयुक्त एंव प्रधान संवको को जानकारी भेजी गई।	-
	राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभाग	405	0	0	0	0	20070	13 492	_	_

						1	1	1	60 0 : :)	
4	शहरी स्थनीय निकाय विभाग	610	0	0	0	0	23 705	14495	इस अधिनियम की भावना एवं मंशा को	_
									अपनाने व लागू करने के सभी प्रयास किये	
									गये हैं। निर्देशों को नोटिस बोर्ड पर लगाया	
									गया है।	
5	तकनीकी शिक्षा एवं औद्यौगिक	415	0	0	0	0	13 990	21402	विभाग की वैबसाईट लांच कर दी गई है तथा	-
	प्रशिक्षण विभाग								जन प्राधिकारी को आर.टी.आई.एक्ट के तहत	
6	सिंचाई विभाग	3 09	0	0	0	0	6580	4631	पारदर्शी जानकारी भावना को इस एक्ट में	-
									स्पश्ट किया गया है।	
7	स्वास्थ्य विभाग	1454	0	0	0	0	3 7086	143 71	इस अधिनियम की भावना एंव मंशा को	_
									अपनाने व लागू करने के सभी प्रयास किया	
									गया हालांकि स्टाफ की कमी के कारण तथा	
									 जन प्राधिकारियों तथा उससे संबंधित स्टाफ	
									की ट्रेनिंग कमी के कारण काफी कठिनाईयों	
									का सामना करना पडा।	
									का सामना करना पड़ा।	
8	कृषि विभाग	1	0	0	0	50	0	0	_	-
9	अनुसूचित जाति एंव पिछडा वर्ग	267	0	0	0	0	5500	2525	इस एक्ट को लागू करने के लिये हर संभव	_
	कल्याण विभाग								प्रयास किया गया।	
	कुल योग	3 602	0	0	0	50	111076	74269	0	0
	सर्वयोग	3 2856	1081	65	29	413 7	1156218	470947	0	

परिशिष्ठ 'ग'

प्रमुख सरकारी अधिकारियों की सूची जिनसे जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। विभागाध्यक्ष महाधिवक्ता (पृष्ठ) पश् पालन एंव डेयरिंगं (महानिदेशक) प्रातत्व एंव संग्रालय (निदेशक) 3 वास्तुकला (महानिदेशक) 4 अभिलेखागार (निदेशक) 5 आयुष विभाग (निदेशक) 6 कल्याणकारी दान – पुण्य (महाप्रशासक एंव सरकारी न्यासी) जनगणना संचालन (निदेशक) 8 नागरिक उडुडयन (सलाहकार) चकबंदी (निदेशक) 10 सहकारिता (रजिस्ट्रार) 11 अर्थ एंव सांख्यिकीय विश्लेषण (ई०एस०ए०) 12 उच्चतर शिक्षा विभाग (आयुक्त) 13 विद्याालय शिक्षा विभाग (महानिदेशक) 14 चुनाव विभाग (मुख्य चुनाव अधाकारी) 15 मुख्य विद्युत निरीक्षक (मुख्य निरीक्षक) 16 रोजगार विभाग (निदेशक) 17 राज्य रोजगार विनिमय(उप निदेशक) 18 पर्यावरण(निदेशक) 19 आबकारी एंव कराधाान(ई0टी0सी0) 20 21 मत्स्यपालन विभाग (निदेशक) खाद्य एवं आपूर्ति विभग (निदेशक) 22 वन विभाग (पी0सी0सी0एफ0) 23 शिकायतें निवारण विभाग (निदेशक) 24 प्रजनन एंव बाल स्वास्थ्य(परियोजना) 25 राज्य टी०बी० नियंत्र्ण समीति एंव क्ष्ठ समीति (अधयक्ष) 26 राज्य टी0बी0 संस्था हरियाणा(प्रधाान) 27 ई0एस0आई (निदेशक) 28 हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान (हिपा)(निदेशक) 29 औद्योगिक प्रशिक्षण एंव व्यवसायिक शिक्षा निदेशक 30 संस्थागत वित्त एंव साख नियंत्र्ग (निदेशक) 31 सिंचाई विभाग (सलाहकार) 32 सिंचाई अनुसंधाान एंव प्रबंधान संस्थान (प्रधाान निदेशक) 33

3 4	श्रम विभाग (श्रम आयुक्त)
3 5	भू अभिलेख विभाग(निदेशक)
3 6	हरियाण राज्य विधाक सेवाएं प्राधाकरण(कार्यकारी अधयक्ष)
3 7	स्थानीय लेखा परीक्षा(निदेशक)
3 8	लॉटरीज़ (निदेशक)
3 9	एन०आई०सी० – कम्प्यूटर केन्द्र (वरिष्ठ तकनीकी)
40	पंचायती राज लोक निमार्ण कार्य (मुख्य अभियंता)
41	कारागार विभाग संयुक्त सचिव
42	अभियोग (निर्देशक)
43	जन संपर्क एंव सामाजिक कार्य विभाग (डी०पी०आर०)
44	लोक निमार्ण (जल आपूर्ति एंव स्वच्छता)
45	पुनर्वास (सयुक्तं सचिव)
46	नवीकाणीय ऊर्जा (निर्देशक)
47	राजस्व प्रक्षिण संस्थान (प्रधाानाचार्य)
48	सामाजिक न्याय एंव अधािकारिता विभाग (निदेशक)
49	लघु बचत (निदेशक)
50	पर्यटन विभाग (निदेशक)
51	नगर एंव ग्राम आयोजना (निदेशक)
52	राज्य परिवहन नियंत्रक
53	खजाना एंव लेखा विभाग (निदेशक)
54	शहरी स्थानीय निकाय विभाग (निदेशक)
55	शहरी संपदा विभाग
56	अनुसूचित जाति एंव पिछडा वर्ग कल्याण विभाग
57	महिला एंव बाल विकास विभाग (निर्देशक)

	बोर्ड एवं निगम				
1	कृषि विपणन बोर्ड (अध्यक्ष)				
2	पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम (अध्यक्ष)				
3	दवा के आयुर्वेदिक और यूनानी प्रणाली का बोर्ड (अध्यक्ष)				
4	दवा की होमोपेथिक प्रणाली की परिषद (अध्यक्ष)				
5	कमांड क्षेत्र विकास प्राधिकरण(प्रशासनिक)				
6	सहकारी केन्द्रीय बैंक लि0 (अध्यक्ष)				
7	सहकारी विकास फीड लि0 (प्रबंध निदेशक)				
8	सहकारी श्रम और निमार्ण फीड लि0 (अध्यक्ष)				
9	सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक लि० (अध्यक्ष)				
10	सहकारी चीनी मील्स की फीड समिति(अध्यक्ष)				
11	उपभोक्ता सहकारीथोक भंडारण की फीड समिति(अध्यक्ष)				
12	राज्य सलाहकारी बोर्ड (अध्यक्ष)				

13	दुग्धा विकास सहकारी प्रसंग लि० (अध्यक्ष)
14	ऊর্जा उत्पादन निगम (अध्यक्ष)
15	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम
16	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम
17	वन विभाग निगम (एच०एफ०डी०सी०)
18	हथकरघा एवं हस्तकला निगम लि० (अध्यक्ष)
19	अनुसूचित जाति वित एंव विकास निगम लि0(अध्यक्ष)
20	हाउसिंग बोर्ड (अध्यक्ष)
21	लघु उद्योग एवं निर्यात निगम (अध्यक्ष)
ক	औद्योगिक सहकारी प्रसंघ लि0 द्धलिक्विडेटरऋ
23	औद्योगिक एवं संरचना विकास निगम लि0 (अध्यक्ष)
24	कला परिषद द्धउपाधयक्षऋ
25	रवादी एंव ग्रामोद्योग बोर्ड (अध्यक्ष)
26	भूमि सुधाार एवं विकास निगम (अध्यक्ष)
27	भूमि उपयोग बोर्ड द्धनिदेशक – सह – सदस्य सचिवऋ
28	पशुधान विकास बोर्ड (अध्यक्ष)
29	श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड (अध्यक्ष)
30	चिकित्सा परिषद् (प्रधाान)
31	राज्य दन्त परिषद् (प्रधाान)
3 2	नर्सिग पंजीकरण परिषद(प्रधाान)
3 3	मेवात विकास ऐजेंसी(अध्यक्ष)
3 4	लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम लिमि० (एम०आई०टी०सी०) (प्रबंधक निदेशक)
3 5	विदेश सोपान सहायता समिति (एच०ओ०पी०ए०एस०) (अध्यक्ष)
3 6	फार्मेसी परिषद (रजिस्ट्रार)
37	पुलिस आवास निगम(अध्यक्ष)
3 8	प्रदूषण नयंत्रण बोर्ड (अध्यक्ष)
3 9	हरियाणा प्राथमिक शिक्षा परियोजना परिषद् (प्रधाान)
40	हरियाणा पंजाबी सहित्य अकादमी (अध्यक्ष)
41	सड़क एवं पुल विकास निगम लि० (अध्यक्ष)
42	ग्रामीण विकास विभाग प्रशासिकय बोर्ड द्धएच आर डी एफ(अध्यक्ष)
43	संवाद (अध्यक्ष)
44	हरियाणा साहित्य अकादमी (अध्यक्ष)
45	संस्कृत अकादमी (अध्यक्ष)
46	संस्कृत अकादमी (सदस्य सचिव)
47	विज्ञान एंव तकनीकी परिषद(अध्यक्ष)
48	शिवालिक विकास बोर्ड (अध्यक्ष)
	6 636 387
49	मिलन अभिवेदित बोर्ड (मुख्य प्रशासक)

51	स्वतंत्र्ता सैनिक सम्मन समीतिद्ध(अध्यक्ष)
52	वृत पंचकूला (प्रशासक)
53	हरियाणा उर्दू अकादमी(अध्यक्ष)
54	हरियाणा महिला विकास निगम(अध्यक्ष)
55	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना एंव शहरी विकास समीति (योजना निदेशक)
56	बाल कल्याण परिषद(प्रधान)
57	वाक्फ बोर्ड (अध्यक्ष)
58	श्रवण एंव वाणी विकलांगता समिति (प्रधाान)
59	अन्धाापन नियंत्रण समिति(अध्यक्ष)
60	भारतीय रैडकास समिति (अध्यक्ष)
61	भारतीय ग्रामीण महिला संघ (प्रधाान)
62	हरियाण हिंद कुष्ठ निवारण संघ (प्रधाान)
63	साकेत परिषद (प्रधाान)
64	हरियाणा राज्य चुनाव आयोग
65	हरियाणा लोक सेवा आयोग (एच.पी.एस.सी)
66	हरियाणा राज्य महिला आयोग (पंचकूला)
67	राज्य उपभोक्ता वाद विवाद निवारण आयोग (सचिव)
68	स्नातकोत्तर चिकित्सा विज्ञान संस्थान, रोहतक (निदेशक)
69	हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एच.ए.आर.सी)
70	राज्य सूचना आयोग, हरियाणा, चण्डीगढ

	संभागीय आयुक्तों
1	उपायुक्त, अम्बाला डीवीजन, अम्बाला

	उपायुक्त				
1	उपायुक्त अंबाला				
2	उपायुक्त भिवानी				
3	उपायुक्त फतेहाबाद				
4	उपायुक्त गुडगांव				
5	उपायुक्त जीन्द				
6	उपायुक्त झज्जर				
7	उपायुक्त करनाल				
8	उपायुक्त कैथल				
9	उपायुक्त कुरूक्षेत्र				
10	उपायुक्त महेन्द्रगढ (नारनौल)				
11	उपायुक्त पलवल				
12	उपायुक्त पानीपत				

13	उपायुक्त पंचकूला
14	उपायुक्त रोहतक
15	उपायुक्त सोनीपत
16	उपायुक्त यमुनानगर

जिला एंव सत्र न्यायधाीश						
1	जिला एंव सत्र न्यायधीश, मेवात और नूह					
2	जिला एंव सत्र न्यायधीश, पलवल					

प्रशासकीय सचिव

_	प्रशासकाय साचव
1	पर्यावरण विभाग
2	रवाद्य एवं आपूर्ति विभाग और सचिव, लोकायुक्त कार्यालय, हरियाणा
3	घर,जेला, आपराधिक जांच और न्याय विभाग के प्रशासन
4	सहकारिता विभाग
5	जन स्वाास्थ्य नियंत्रक विभाग
6	महिला एंव बाल विकास विभाग
7	वित्त एवं आई.एफ.सी.सी एवं योजना विभाग
8	आबकारी एंव कराधाान (ई०टी०सी०)
9	परिवहन एंव नागरिक उड्डयन विभाग
10	ऊर्जा विभाग
11	वन विभाग (पी0सी0एफ0)
12	ाहर और देश योजना एंव शहरी संपदा विभाग
13	पर्यटन एवं आवास विभाग
14	उद्योग एंव वाणिज्य, खान और भूविज्ञान और इलैक्ट्रॉनिक और सूचना प्रोद्योगिकी
15	उच्च शिक्षा एवं भाषा विभाग
15	तकनीकी शिक्षा एवं औद्यौगिक प्रशिक्षण विभाग
16	पुरातत्व विभाग
17	खेल एवं युवा कल्याण एवं सचिव, सेल उपयोग/निपटान
18	पी डब्ल्यु (बी.एडं आर) एवं वास्तु विभाग
19	पशु संशाधान एवं दुग्धा उत्पाद विभाग
20	विज्ञान एवं तकनीकी एवं नवीनिकरण ऊर्जा विभाग
21	पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग
22	स्कूल शिक्षा, श्रम एंव रोजगार विभाग और अध्यक्ष, हरियाणा खनिज लि०, नई दिल्ली
23	पचांयत विभाग के विकास और सचिव बी ए सी और आयुक्त गुरूद्वारा चुनाव हरियाण
24	सूचना एवं जन संपर्क सामाजिक कल्याण एवं शिकायत विभाग
25	सामाजिक न्याय एंव अधािकारिता विभाग

26	मुदृण एवं लेखन सामग्री विभाग
27	मत्स्य पालन विभाग
28	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा, चुनाव विभाग एंव निदेशक अक्षय ऊर्जा
29	राज्यपाल के सचिव, हरियाणा
3 0	हरियाणा विधान सभा सचिवालय

परिशिष्ट (घ) राज्य लोक सूचना अधिकारी पर आयोग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(1) के तहत जारी किये गये दंड का विवरण 1.1.2010 से 31.12.2010

केस नं0	निर्णय की	लागू किए	दोशी एस0पीआई0ओ0 की सूची	राज्य जन सूचना अधिकारी का
	तिथि	गए जुर्माने		नाम व पता
		की राशि		
2458 / 2009 में	6.1.2010	8500/-	श्री सुशिल कुमार बनाम श्री साधू	निदेशक, प्राथमिक शिक्षा,
650/2009				हरियाणा, ३० बेज बिलिडिंग,
			अधाकारी-कम- जिला प्राथमिक	सैक्टर 17, चण्डीगढ़ ।
			शिक्षा अधिाकारी, यमुनानगर ।	·
2603 /2009 में	12.1.2010	25000/-	श्री बंसी बाला बनाम श्रीमति गीता	आयुक्त एवं महानिदेशक, स्कूल
585/2009			शर्मा, राज्य जन सूचना	शिक्षा, हरियाणा, ३० बेज
			अधाकारी – कम – प्रिंसीपल,राजकीय	बिलिडिंग, सैक्टर 17, चंडीगढ़ ।
			कन्या वरिष्ठ माधयमिक विद्यालय,	·
			रिवाड़ी ।	
2909 / 2009 में	13.1.2010	10000/-	श्री मुख्तियार सिंह बनाम श्री	मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग,
686/2009			सी0एल0 गांडा, राज्य जन सूचना	हरियाणा, सिंचाई भवन, सैक्टर
			अधिकारी – कम – अधीक्षक	5, पंचकूला ।
			अभियन्ता, यमुन जल सेवाएं, सिरसा	

280 / 2009 में	14.1.2010	5250/-		प्रबंधक निदेशक, उत्तर हरियाणा
29/2010			जी०एल०गोम्बर, राज्य जन सूचना	बिजली वितरण निगम, शक्ति
			अधिकारी – कम – मुख्य	भवन, सैक्टर 6, पंचकूला ।
			अभियन्ता /ओ०पी०, उत्तर हरियाणा	
			बिजली वितरण विभाग लिमिटेड,	
			पंचकूला ।	
277 / 2009 में	19.1.2010	6000/-	श्री दीन दयाल सोनी बनाम श्री	
677/2009			एस0एन0शर्मा, राज्य जन सूचना	भिवानी ।
			अधिकारी – कम – प्रिंसीपल, वैष	
			महाविधालय, भिवानी ।	
2722 / 2009 में	19.1.2010	1100 / -	श्री बृज मोहन शर्मा बनाम नगर	निदेशक, शहरी एवं स्थानीय
622/2009			परिषद, थानेसर ।	निकाय विभाग, हरियाणा,
				एस0सी0ओ0 नं0 6-7, सैक्टर 17
				बी, चंडीगढ़ ।
162 / 2009 में	21.1.2010	9250/-	श्री दिलबाग सिंह बनाम श्रीमति	निदेशक, सामाजिक न्याय एंव
406/2009			आशाा किरण, राज्य जन सूचना	अधिकारिता, हरियाणा,
			अधिकारी – कम – जिला समाज	एस0सी0ओ0 नं0 68-70, सैक्टर
			कल्याण अधिकारी, सोनीपत ।	17 – ए, चंडीगढ़ ।
1018 / 2009 में	21.1.2010	5000/-	श्री जितेन्द्र सहारन बनाम श्रीमति	निदेशक, सामाजिक न्याय एंव
309/2009			आशा किरण, राज्य जन सूचना	अधिकारिता, हरियाणा,
			अधिकारी – कम – जिला समाज	एस0सी0ओ0 नं0 68-70, सैक्टर
			कल्याण अधिकारी, सोनीपत ।	17 – ए, चंडीगढ़ ।
				Ţ
L	1		1	

2210 / 2009 में	21.1.2010	3250/-	श्री अशोक कुमार बनाम श्रीमति	निदेशक, सामाजिक न्याय एंव
469/2009			आशा किरण, राज्य जन सूचना	अधिकारिता, हरियाणा,
			अधिकारी – कम – जिला समाज	एस0सी0ओ0 नं0 68-70, सैक्टर
			कल्याण अधिकारी, सोनीपत ।	17 – ए, चंडीगढ़ ।
2087 / 2009 में	21.1.2010	5000/-	श्री अनिल मलिक बनाम श्रीमति	उच्च शिक्षा आयुक्त, हरियाणा,
462/2009			अंजू सेन, तत्कालीन राज्य जन	शिक्षा सदन, सैक्टर 5, पंचकूला
			सूचना अधिकारी – सहायक निदेशक	1
			महाविद्यालय-1, कार्यालय उच्च	
			शिक्षा आयुक्त, हरियाणा ।	
2087 / 2009 में	21.1.2010	6750/-	श्री अनिल मलिक बनाम श्री	उच्च शिक्षा आयुक्त, हरियाणा,
586/2009			एस0पी0 सिंह, राज्य जन सूचना	शिक्षा सदन, सैक्टर 5, पंचकूला
			अधिकारी – कम – सहायक निदेशक,	1
			ई०डी०यू०एस०ए०टी०, कार्यालय	
			उच्च शिक्षा आयुक्त, हरियाणा ।	
3 43 / 2009 में	28.1.2010	2000/-	श्री साहब सिंह बनाम श्री	प्रबंध निदेशक, उत्तर हरियाणा
676/2009			एम0एस0दहिया, सहायक राज्य जन	बिजली वितरण निगम, शक्ति
			सूचना अधिकारी - कम - कार्यकारी	भवन, सैक्टर ७, पंचकूला ।
			अभियन्ता, उत्तर हरियाणा बिजली	
			वितरण निगम, सोनीपत ।	
2103 /2009 में	28.1.2010	5000/-	श्री विनोद अग्रवाल बनाम श्री	प्रबंध निदेशक, दक्षिण हरियाणा
595/2009			एम0एल0 रोहिल्ला, राज्य जन	बिजली वितरण निगम, विद्युत
			सूचना अधिकारी – कम – कार्यकारी	नगर, हिसार ।
			अभियंता, दक्षिण हरियाणा बिजली	

			विस्ताम नियम सन्त्रभूमार ।	
			वितरण निगम, बल्लभगढ़ ।	67
2053 /2009 में	29.1.2010	5000/-	श्री राजेन्द्र सिंह बनाम डा० वी०वी०	
668/2009			छिकारा, सहायक राज्य जन सूचना	हास्टल के पास, पंचकूला ।
			अधिकारी – कम – प्रिंसिपल, सरकारी	
			आयुर्वेदिक कालेज, कुरूक्षेत्र ।	
2696 / 2009 में	2.2.2010	1000 / -	श्री चंद्र सिंह बनाम श्रीमति आशाा	निदेशक, सामाजिक न्याय एंव
628/2009			किरण, राज्य जन सूचना	अधिकारिता, हरियाणा,
			अधिकारी – कम – जिला समाज	एस0सी0ओ0 नं0 68-70, सैक्टर
			कल्याण अधिकारी, सोनीपत ।	17 - ए, चंडीगढ़ ।
2696/2009 में	2.2.2010	3 500 / -	श्री चंद्र सिंह बनाम श्री सत्यावान,	निदेशक, सामाजिक न्याय एंव
628बी/2009			राज्य जन सूचना	अधिकारिता, हरियाणा,
			अधिकारी – कम – जिला समाज	एस0सी0ओ0 नं0 68-70, सैक्टर
			कल्याण अधिकारी, जिन्द ।	17 – ए, चंडीगढ़ ।
3 062 / 2009 में	11.2.2010	4000/-	श्री राजेन्द्र कुमार बनाम श्री वी0पी0	कुलपति, महिष दयानन्द
10/2010			नन्दल, राज्य जन सूचना	महाविदयालय,रोहतक
			अधिकारी – क्म – ओ०एस०डी०,	
			जिला शिक्षा एम0डी0 यूनिवर्सिटी,	
			रोहतक	
3 17 / 2009 में	15.2.2010	25000/-	श्री राजेश कुमार बनाम श्री	मुख्य अभियन्ता, पब्लिक वर्कस
710 / 2009			एस०के० अग्रवाल, राज्य जन सूचना	,
				निर्मल सदन, सैक्टर 33, चंडीगढ़
			अभियन्ता,,प्रो डिविजन,	1
			पी0डब्लयू0डी0 बी एंड आर शाखा,	
			झज्जर ।	

1728 / 2009 में	23.2.2010	5000/-	श्री फतेह सिंह बनाम श्री	निदेशक, शहरी एवं स्थानीय
3 43 /2009			ए०के०जैन, राज्य जन सूचना	निकाय विभाग, हरियाणा,
			अधिकारी – कम – कार्यकारी	एस0सी0ओ0 नं0 6-7, सैक्टर 17
			अधिकारी , नगर परिषद, रिवाड़ी	बी, चंडीगढ़ ।
2291/2009 में	8.3.2010	5000/-	श्री सुरेन्द्र सिंह बनाम श्री झब्बर	निदशक, विकास एवं पंचायत
88/2010			सिंह, राज्य जन सूचना	हरियाणा, पंचायत भवन, सैक्टर
			अधिकारी-कम-खंड विकास एवं	28 ए, चंडीगढ़ ।
			पंचायत अधिकारी, हांसी अब नंगल	
			चौधरी पर तैनात ।	
2643 /2009 में	11.3.2010	2000/-	श्री एन0के0 कटरा बनाम अधीक्षण	आयुक्त, नगर परिषद, फरीदाबाद
33/2010			अभियन्ता, नगर परिषद, फरीदाबाद	
9/2010 में 52/2010	15.3.2010	11750/-	श्री वीरेन्द्र सिंह बनाम श्री वी0के0	उच्च शिक्षा आयुक्त, पंचकूला ।
			डुग्गल, प्रधाान, एल०एन० हिन्दू	
			कालेज, रोहतक	
55/2010	15.3.2010	1000 / -	श्री शक्ति सिंह शर्मा बनाम श्री हरि	याय एंव अधिकारिता विभाग,
			कृष्ण पहल, राज्य जन सूचना	हरियाणा
			अधिकारी—कम—अधीक्षक, न्याय एंव	
			अधिकारिता, हरियाणा ।	
3 045 / 2009 में	15.3.2010	13 250 / -	श्री कृष्ण कुमार लाहिया बनाम श्री	
3 /2010			एस०के० सिंह, राज्य जन सूचना	निगम नं0 1-, हिसार
			अधिकारी–कम–कार्यकारी	
			अधिकारी(ओ०पी०),दक्षिण हरियाणा	
			बिजली वितरण निगम, हिसार ।	

_	1		1	
1021/2010 में	15.3.2010	10000 / -	श्री पुनीत कुमार वत्स बनाम श्री	उच्च शिक्षा आयुक्त, पंचकूला ।
93 /2010			वी0के0 डुग्गल, राज्य जन सूचना	
			अधाकारी – कम – प्रधाान,	
			एल0एन0 हिन्दू कालेज, रोहतक	
1920 / 2009 में 719,	16.3.2010	1250/-	डा० राज कुमार सिवाच बनाम श्री	उच्च शिक्षा आयुक्त, हरियाणा,
588 व 512/2009			वी0एस0 मल्हान – कम – सहायक	पंचकूला ।
			निदेशक, कालेजिस-11, कार्यालय	
			उच्च शिक्षा आयुक्त, हरियाणा ।	
3 87 / 2009 में	17.3.2010	4000/-	श्री सिद्दार्थ यादव बनाम राज्य जन	निदेशक, शहरी एवं स्थानीय
70/2010			सूचना अधिकारी – कम – कार्यकारी	निकाय विभाग, हरियाणा,
			अधिकारी, नगर परिषद, रिवाड़ी ।	एस0सी0ओ0 नं0 6-7, सैक्टर 17
				बी, चंडीगढ़ ।
1025 / 2010 में	22.2.2010	5000/-	श्री पुनीत कुमार वत्स बनाम डा०	उच्च शिक्षा आयुक्त, पंचकूला ।
78/2010			आर०के०गर्ग, राज्य जन सूचना	-
			अधिकारी – कम – प्रधाान, वैष	
			महाविधालय, रोहतक	
2550 / 2009 में	23.3.2010	5000/-	श्री महेश कुमार बनाम श्री विश्वेन्द्र	वितायुक्त एवं प्रधाान सचिव,
83 /2010			शर्मा, एस०ए०ओ०, वित्त विभाग,	हरियाणा सरकार, वित्त विभाग,
			राज्य परिवहन नियंत्रक, हरियाणा,	वेतन संशोधान शाखा, हरियाणा,
			चंडीगढ़ ।	सिविल सचिवालय, चंडीगढ़ ।
3 001 / 2009 में	23.3.2010	25000/-	श्री अनिल भाटिया बनाम श्री राम	कुलपति, कुरूक्षेत्र युनिवर्सिटी,
84/2010			किशन, राज्य जन सूचना	कुरूक्षेत्र
			अधिकारी, सहायक रजिस्दार	-
			(महाविद्यालय), कुरूक्षेत्र युनिवर्सिटी,	

			कुरूक्षेत्र ।	
3 142 / 2009 में	23.3.2010	5000/-	श्री अनिल भाटिया बनाम डा०	प्रबंधक समिति, दयानंद कालेज,
95/2010			आर०के०तोमर, राज्य जन सूचना	हिसार ।
			अधिकारी – कम – प्रधान, दयानंद	
			कालेज, हिसार ।	
3 42 / 2009 में	26.3.2010	2000/-	श्री नीरज बंसल बनाम श्री ओ०पी०	निदेशक, देजरी एंड एकाउंटस
666/2009			पसरीचा, राज्य जन सूचना	विभाग, हरियाणा, ३० बेज
			अधिकारी-कम-उप निदेशक,	बिलिडिंग, सैक्टर 17, चण्डीगढ़ ।
			देजरी एंड एकाउंटस विभाग,	
			हरियाणा, चंडीगढ़ ।	
197 / 2009 में	3 0.3 .2010	2000/-	श्री दीन दयाल सोनी बनाम श्री	निदेशक, शहरी एवं स्थानीय
577/2009			एस0एन0शर्मा, राज्य जन सूचना	निकाय विभाग, हरियाणा,
			अधिकारी – कम – कार्यकारी	एस0सी0ओ0 नं0 6-7, सैक्टर 17
			अधिकारी, भिवानी ।	बी, चंडीगढ़ ।
200 / 2009 में	3 0.3 .2010	2000/-	श्री दीन दयाल सोनी बनाम श्री	निदेशक, शहरी एवं स्थानीय
576/2009			एस0एन0शर्मा, राज्य जन सूचना	निकाय विभाग, हरियाणा,
			अधिकारी – कम – कार्यकारी	एस0सी0ओ0 नं0 6-7, सैक्टर 17
			अधिकारी, भिवानी ।	बी, चंडीगढ़ ।
131/2009 में	25.3.2010	10000/-	श्री लाल चंद रावम बनाम श्री	मुख्य अभियन्ता, पब्लिक वर्कस
3 92 / 2009			एस0के० मल्होत्रा, राज्य जन सूचना	(जल आपूर्ति एवं स्वच्छता)
			अधिकारी – कम – कार्यकारी	विभाग, बेज न0 13—18, सैक्टर 4,
			अधिकारी, लोक स्वास्थय यांत्रिकी,	पंचकूला ।
			डिविजन नं० ३, पलवल ।	

3 13 5 / 2009 में	1.4.2010	25000/-	श्री जगदीश चंद डोडा बनाम श्री	मुख्य वास्तुकार, वास्तुकला
124/2010			अनील कुमार वालिया, राज्य जन	
			सूचना अधिकारी – कम – वास्तुकार,	नं0 42-44, सैक्टर 17 ए,
			वास्तुकला, हरियाणा ।	चंडीगढ़ ।
2825 / 2009 में	6.4.2010	2000/-	श्री वैदया प्रेम चंद कंबोज बनाम	निदेशक, आयुष विभाग , सैक्टर
66/2010			डा० विश्व कीर्ति भारद्वाज, राज्य	3, नजदीक यूथ हास्टल,
			जन सूचना अधिकारी – कम	
			-रजिस्दार, आयुर्वेदिक एवं यूनानी	
			चिकित्सा पद्वति, हरियाणा आयुष	
			विभाग	
3 13 1 / 2009 में	6.4.2010	2000/-	श्री वैदया प्रेम चंद कंबोज बनाम	
68/2010			डा० विश्व कीर्ति भारद्वाज, राज्य	,
			जन सूचना अधिकारी – कम –	
			रजिस्दार, आयुर्वेदिक एवं यूनानी	
			चिकित्सा पद्वति, हरियाणा आयुष	
_			विभाग	
3 13 0 / 2009 में	6.4.2010	2000/-	श्री वैदया प्रेम चंद कंबोज बनाम	, , ,
71/2010			डा० विश्व कीर्ति भारद्वाज, राज्य	
			जन सूचना अधिकारी – कम –	पंचकूला ।
			रजिस्दार, आयुर्वेदिक एवं यूनानी	
			चिकित्सा पद्वति, हरियाणा आयुष	
			विभाग	

2800 / 2009 में	7.4.2010	10000 / -	श्री सत्पाल रोहिल्ला बनाम श्री	मुख्य अभियन्ता, पब्लिक वर्कस
711/2009			असीम खन्ना, राज्य जन	(जल आपूर्ति एवं स्वच्छता)
			सूचना – कम – कार्यकारी अभियन्ता,	विभाग, बेज नं0 13—18, सैक्टर 4,
			जन स्वास्थय अभियांत्रिकी विभाग,	पंचकूला ।
			डिविजन नं0 1, पानीपत ।	
3 159 / 2009 में	8.4.2010	25000/-	श्री कृष्ण चंद गोयल बनाम श्री ए०के	मुख्य अभियन्ता, पब्लिक वर्कस
107/2010			पाहवा, राज्य जन	
			सूचना – कम – कार्यकारी अभियन्ता,	विभाग, बेज नं0 13—18, सैक्टर 4,
			जन स्वास्थय अभियांत्रिकी विभाग,	पचकूला ।
			डिविजन , नरवाना ।	
3 007 / 2009 में	13.4.2010	2000/-	श्री विजय गुप्ता, हिसार बनाम श्री	महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं,
67/2010			अशाोक चौधरी, राज्य जन	हरियाणा, सैक्टर ६, पंचकूला ।
			सूचना-कम-उप सिविल सर्जन,	
			हिसार	
2014 / 2010 में	16.4.2010	2000/-	श्री घिसा राम, महेन्द्रगढ़ बनाम श्री	निदेशक, शहरी एवं स्थानीय
35/2010			तुलसी राम शर्मा, राज्य जन सूचना	निकाय विभाग, हरियाणा,
			अधिकारी – कम – सचिव, नगर	एस0सी0ओ0 नं0 6-7, सैक्टर 17
			परिषद, महेन्द्रगढ़ अब तैनात नारनौल	बी, चंडीगढ़ ।
			में	
2714 / 2009 में	20.4.2010	5000/-	श्री तिलक राज तनेजा, अम्बाला	_
51/2010			कैंट बनाम श्री जगमोहन शर्मा,	वन विभाग, सैक्टर 6, पंचकूला ।
			राज्य जन सूचना	
			अधिकारी – कम – प्रभागीय वन	

			C	
			विभाग अधिकारी, अम्बाला ।	
3 049 / 2009 में 121 व	20.4.2010	2000/-	श्री कृष्ण कुमार लोहिया बनाम श्री	
04/2010			एस0के0 सिंह, राज्य जन सूचना	बिजली वितरण निगम, विद्युत
			अधिकारी – कम – कार्यकारी	नगर, हिसार ।
			अभियंता, दक्षिण हरियाणा बिजली	
			वितरण निगम, डिविजन नं0 1,	
			हिसार ।	
1020 / 2010 में	29.4.2010	9500/-	श्री हेमन्त कुमार, रिवाड़ी बनाम डा०	
77 / 2010			आर0के0 बहाकर, राज्य जन सूचना	कालेज आफ एजुकेशन, रिवाड़ी
			अधिकारी – कम – प्रधाान, सतीश	1
			पब्लिक कालेज आफ एजुकेशन,	
			रिवाड़ी ।	
252 / 2009 में	3 0.4.2010	1000 / -	श्री सज्जन सिंह, रोहतक बनाम श्री	श्रम आयुक्त, हरियाणा , 30 बेज
167/2010			अनुपम मलिक, राज्य जन सूचना	बिल्डिंग, प्रथम तल, सैक्टर 17,
			अधिकारी - कम - संयुक्त श्रम	चंडीगढ़ ।
			आयुक्त, हरियाणा ।	
3 18 / 2009 में	15.2.2010	25000/-	श्री राजेश कुमार बनाम श्री	मुख्य अभियन्ता, पब्लिक वर्कस
699/2009			एस0के० अग्रवाल, राज्य जन सूचना	(बी एंड आर विभाग, हरियाणा,
				निर्मल सदन, सैक्टर 33, चंडीगढ़
			अभियन्ता,,प्रो डिविजन,	1
			पी0डब्लयू0डी0 बी एंड आर शाखा,	
			झज्जर ।	

2807 / 2009 में 717 / 2009	5.5.2010	5000/-	श्री सत्पाल बनाम श्री रणधीर सिंह, राज्य जन सूचना अधिकारी-कम-अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थय अभियांत्रिकी विभाग, करनाल।	(जल आपूर्ति एवं स्वच्छता) विभाग, बेज नं0 13—18, सैक्टर 4,
3 155 / 2009 में 103 / 2010	13.5.2010	2000/-	श्री दयानन्द बनाम श्री ईशवर जैन, राज्य जन सूचना अधिकारी – कम – कार्यकारी अभियन्ता, जन स्वास्थय अभियांत्रिकी विभाग, सोनीपत	(जल आपूर्ति एवं स्वच्छता) विभाग, बेज नं0 13—18, सैक्टर 4,
2675/2009 में 31/2010	3.6.2010	25000/-	श्री ए०के०शर्मा, फरीदाबाद बनाम श्री राम प्रकाश सैनी, रजिस्टार कोओप्रेशन, हरियाणा, पंचकूला ।	
208 / 2009 में 470 / 2009	16.6.2010	5000/-	श्री सूरज भान, रिवाड़ी जिला बनाम श्री अमीत कुमार, राज्य जन सूचना अधिकारी-कम- जिला समाज कल्याण अधिकारी, रिवाड़ी ।	निदेशक, सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता, हरियाणा,
102 / 2010 में 195 / 2010	25.6.2010	750 / -	श्री बलराम सिंह, अम्बाला, बनाम डा० जी० कुमार, राज्य जन सूचना अधिकारी-कम-प्रधाान, चिकित्सा अधिकारी, सामान्य अस्पताल,	,

			अम्बाला ।	
1260 / 2010 में	25.6.2010	5000/-	श्री महावीर सिंह, कुरूक्षेत्र,	निदेशक, शहरी एवं स्थानीय
263 /2010			कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद,	निकाय विभाग, हरियाणा,
			कुरूक्षेत्र ।	एस0सी0ओ0 नं0 6-7, सैक्टर 17
				बी, चंडीगढ़ ।
91/2010 में 271/2010	3 0.6.2010	2000/-	श्री राम कुमार शर्मा, करनाल बनाम	निदेशक, शहरी एवं स्थानीय
				निकाय विभाग, हरियाणा,
			अधिकारी – कम – सचिव, नगर	एस0सी0ओ0 नं0 6-7, सैक्टर 17
			समिति, इन्द्री	बी, चंडीगढ़
403 /2009 में	1.7.2010	2500/-	श्री तरसेम कुमार शर्मा, करनाल	निदेशक, सामाजिक न्याय एंव
12 / 2010			बनाम श्रीमति विमल भोला, राज्य	अधिकारिता, हरियाणा,
			जन सूचना अधिकारी-कम-जिला	एस0सी0ओ0 नं0 68-70, सैक्टर
			समाज कल्याण अधिकारी,	17-ए, चंडीगढ़ ।
			करनाल ।	
1460 / 2010 में	13.7.2010	25000/-	श्री सुशील कुमार, करनाल बनाम	
280/2010			श्रीमति जनक रावल, राज्य जन	नर्सिंग कालेज, रतिया, फतेहाबाद
			सूचना अधिकारी – कम – प्रद्यान,	1
			शहीद उद्यम सिंह नर्सिंग कालेज,	
			रतिया ।	
1484/2010 में	14.7.2010	4000/-	श्री सुबे सिंह, चंडीगढ़ बनाम श्री	1
258/2010			आजाद सिंह, राज्य जन सूचना	
			अधिकारी – क्म – ओ०एस०डी० (डी)	नं0 3 , सैक्टर 28 – ए, चंडीगढ़
			जिला विकास एवं पंचायत, हरियाणा	

158 / 2010 में	20.7.2010	7000/-	श्री मिलाप चंद जैन, जींद बनाम	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
3 00 / 2010			श्री पलविन्द्र कुमार, राज्य जन	
			सूचना अधिकारी - कम - कार्यकारी	भवन, सैक्टर 6, पंचकूला ।
			अभियन्ता, उत्तर हरियाणा बिजली	
			वितरण निगम, जिंद ।	
157 / 2010 में	20.7.2010	5000/-	श्री मिलाप चंद जैन, जींद बनाम	प्रबंध निदेशक, उत्तर हरियाणा
3 11 / 2010			श्री पलविन्द्र कुमार, राज्य जन	बिजली वितरण निगम, शक्ति
			सूचना अधिकारी - कम - कार्यकारी	भवन, सैक्टर 6, पंचकूला ।
			अभियन्ता, उत्तर हरियाणा बिजली	
			वितरण निगम, जिंद ।	
3 009 / 2009 में	20.7.2010	3 500 / -	श्री ननाग राम, गुड़गांव बनाम डा०	महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं,
203 /2010			राम कुमार – कम – वरिष्ठ चिकित्सा	हरियाणा, सैक्टर 6, पंचकूला ।
			अधिकारी, सी०एच०सी० झज्जर ।	
3 67 / 009 में 60 / 2010	20.7.2010	5000/-	श्री रामेश्वर दास, कुरूक्षेत्र बनाम श्री	निदेशक, विकास एवं पंचायत,
में 252/2010			सुनेहरा राम, राज्य जन सूचना	हरियाणा, पंचायत भवन, प्लाट
			अधिकारी-कम-खंड विकास एवं	नं0 3, सैक्टर 28-ए, चंडीगढ़
			पंचायत अधिकारी, नाहर, जिला	
			रिवाड़ी ।	
3 67 / 009 में 60 / 2010	20.7.2010	5000/-	श्री रामेश्वर दास, कुरूक्षेत्र बनाम श्री	निदेशक, विकास एवं पंचायत,
में 252 / 2010			बृज लाल शर्मा , राज्य जन सूचना	हरियाणा, पंचायत भवन, प्लाट
	_		अधिकारी – कम – सरपंच, दीग	नं0 3, सैक्टर 28-ए, चंडीगढ़

3 67 / 009 में 60 / 2010	20.7.2010	2000/-	श्री रामेश्वर दास, कुरूक्षेत्र बनाम श्री	निदेशक, विकास एवं पंचायत,
में 252 / 2010			प्रकाश शर्मा, राज्य जन सूचना	
			अधिकारी-कम-खंड विकास एवं	नं0 3, सैक्टर 28-ए, चंडीगढ़
			पंचायत अधिकारी, हांसी – 11	
1019 / 2010 में	21.7.2010	1000 / -	श्री करतार सिंह सहारन, रोहतक	उच्च शिक्षा आयुक्त, हरियाणा,
92ए/2010			बनाम श्री भूप सिंह, राज्य जन	शिक्षा सदन, सैक्टर 5, पंचकूला
			सूचना अधिकारी कार्यालय उच्च	1
			शिक्षा आयुक्त, हरियाणा ।	
2974 / 2009 में	22.7.2010	5000/-	श्री आर0पी0सिंह, करनाल बनाम	निदेशक, विकास एवं पंचायत,
44/2010			श्रीमति रीटा देवी, राज्य जन सूचना	हरियाणा, पंचायत भवन, प्लाट
			अधिकारी – कम – सरपंच, ग्राम	नं0 3, सैक्टर 28-ए, चंडीगढ़
			पंचायत, अरियनपूरा (करनाल)	
1265 / 2010 में	23.6.2010	25000/-	श्री सतबीर सिंह राणा बनाम श्री	मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थय
234/2010			राकेश कुमार, राज्य जन सूचना	_
			अधिकारी – कम – कार्यकारी	13—18, सैक्टर 4, पंचकूला ।
			अभियन्ता, जन स्वास्थय	
			अभियांत्रिकी विभाग, चरखी दादरी।	
1020 / 2010 में	4.8.2010	1000 / -	श्री हेमन्त कुमार, रिवाड़ी बनाम डा०	
3 06 / 2010			आर०के० भक्कर, राज्य जन सूचना	कालेज आफ एजुके ान, रिवाड़ी
			अधिकारी-कम-प्रधाान, सती ७	
			पब्लिक कालेज आफ एजुके ान,	
			भिवानी ।	

155 व 156/2010 में	5.8.2010	1000 / -	डा० एम.सी. शर्मा, वकील, भिवानी	प्रंबंध निदेशक, दक्षिण हरियाणा
1170 / 2010			बनाम श्री के.के. शर्मा, राज्य जन	बिजली वितरण निगम, विद्युत
			सूचना अधिकारी – कम – कार्यकारी	नगर, हिसार ।
			अधिकारी, दक्षिण हरियाणा बिजली	
			वितरण निगम, भिवानी ।	
155 व 156/2010 में	5.8.2010	3 500 / -	डा० एम.सी. शर्मा, वकील, भिवानी	प्रंबंध निदेशक, दक्षिण हरियाणा
1170 / 2010			बनाम श्री के.के. शर्मा, राज्य जन	बिजली वितरण निगम, विद्युत
			सूचना अधिकारी – कम – कार्यकारी	नगर, हिसार ।
			अधिकारी, दक्षिण हरियाणा बिजली	
			वितरण निगम, भिवानी ।	
282 व 283 / 2010	5.8.2010	4750 / -	श्री दीन दयाल सोनी, भिवानी बनाम	प्रंबंध निदेशक, दक्षिण हरियाणा
			राज्य जन सूचना	बिजली वितरण निगम, विद्युत
			अधिकारी – कम – दक्षिण हरियाणा	नगर, हिसार ।
			बिजली वितरण निगम, भिवानी ।	
3 61 / 2010 में	10.8.2010	1000 / -	श्री अकुरं जैन, यमुनानगर बनाम	प्रंबंधक कमेटी, डी.ऐ.वी कॉलेज,
181/2010			प्रधानाचार्य, डी.ऐ.वी कॉलेज फॉर	चित्रा रोड, नई दिल्ली।
			गर्ल्स, यमुनानगर	
152 / 2010 में	11.8.2010	5000/-	श्री जसबीर सिंह मोर बनाम पी.सी.	प्रंबंध निदेशक, दक्षिण हरियाणा
1180/2010			गुप्ता, अधीक्षण अभियंता, डी.एस.	_
			एम, दक्षिण हरियाणा बिजली	नगर, हिसार ।
			वितरण निगम, विद्युत नगर, हिसार	

253 /2010 में	18.8.2010	2000/-	डा० एम.सी. शर्मा, वकील, भिवानी	निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय
13 90 / 2010			बनाम श्री ऐ.के. जैन, राज्य जन	विभाग, हरियाणा, एस.सी.ओ. नं0
			सूचना अधिकारी – कम – संपदा	6-7, सैक्टर- 17 बी,
			अधिकारी नगर निगम, भिवानी ।	चण्डीगढ़।
3 089 / 2009 में	18.8.2010	2000/-	श्री दीन दयाल सोनी बनाम श्री	निदेशक, शहरी एवं स्थानीय
3 59 / 2010			ए०के०जैन, राज्य जन सूचना	निकाय विभाग, हरियाणा,
			अधिकारी – कम – कार्यकारी	एस0सी0ओ0 नं0 6-7, सैक्टर 17
			अधिकारी, नगर परिषद, भिवानी ।	बी, चंडीगढ़ ।
143 9 / 2010 में	18.8.2010	2000/-	श्री अंकुर कुमार, भिवानी बनाम श्री	निदेशक, शहरी एवं स्थानीय
3 60 / 2010			विवके सिंह, सहायक राज्य जन	निकाय विभाग, हरियाणा,
			सूचना अधिकारी – कम – कार्यकारी	एस0सी0ओ0 नं0 6-7, सैक्टर 17
			अधिकारी, नगर परिषद, भिवानी	बी, चंडीगढ़ ।
1706 / 2007 में	18.8.2010	5000/-	श्री विरेन्द्र सिंह, भिवानी बनाम श्री	निदेशक, शहरी एवं स्थानीय
575/2008			ए०के०जैन, राज्य जन सूचना	निकाय विभाग, हरियाणा,
			अधिकारी – कम – सम्पदा अधिकारी,	एस0सी0ओ0 नं0 6-7, सैक्टर 17
			भिवानी ।	बी, चंडीगढ़ ।
1707 / 2010 में	20.8.2010	2000/-	श्री काली राम नायडू, जीन्द बनाम	मुख्य प्रशासक, हरियाणा राज्य
3 83 /2010			श्री जै सिंह तंवर, सचिव, मार्किट	
			समिति, भिवानी ।	सी—6, सैक्टर 6, पंचकूला ।
1282 / 2010 में	20.8.2010	4000/-	श्री प्रेम सिंह, पंचकूला बनाम राज्य	प्रधान, मुख्य संरक्षक, वन
223 /2010			जन सूचना अधिकारी कार्यालय	विभाग, हरियाणा, सैक्टर 6,
			प्रधान, वन संरक्षक, हरियाणा ।	पंचकूला ।
189 / 2010 में	23.8.2010	2000/-	श्री दीन दयाल सोनी, भिवानी बनाम	निदेशक, शहरी एवं स्थानीय

		Т.	1	1
3 52 / 2010			श्री ए०के०जैन, राज्य जन सूचना	निकाय विभाग, हरियाणा,
			अधिकारी – कम – कार्यकारी	एस0सी0ओ0 नं0 6-7, सैक्टर 17
			अधिकारी, नगर परिषद, भिवानी ।	बी, चंडीगढ़ ।
1480 / 2010 में	3 0.8.2010	2000/-	श्री धरम सिंह यादव, भिवानी बनाम	मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग,
3 10 / 2010			राज्य जन सूचना	हरियाणा, सिंचाई भवन, सैक्टर
			अधिकारी – कम – भूमि अधिग्रहण	5, पंचकूला ।
			अधिकारी, भिवानी ।	
251/2010 में	3 0.8.2010	2000/-	श्री पवन कुमार शर्मा बनाम राज्य	निदेशक, शहरी एवं स्थानीय
384/2010			जन सूचना	निकाय विभाग, हरियाणा,
			अधिकारी – कम – सचिव, नगर	एस0सी0ओ0 नं0 6-7, सैक्टर 17
			परिषद, कालका ।	बी, चंडीगढ़ ।
1503 /2010 में	3 1.8.2010	5750/-	श्री विनोद अग्रवाल बनाम श्री	प्रबंध निदेशक, दक्षिण हरियाणा
380/2010			एम0एल0 रोहिल्ला, राज्य जन	बिजली वितरण निगम, विद्युत
			सूचना अधिकारी – कम – कार्यकारी	नगर, हिसार ।
			अभियंता, दक्षिण हरियाणा बिजली	
			वितरण निगम, बल्लभगढ़ ।	
217 / 2010 में	3 1.8.2010	25000/-	श्री धरमबीर, सोनीपत बनाम जिला	निदेशक, सामाजिक न्याय एंव
379/2010			समाज कल्याण अधिकारी, सोनीपत	अधिकारिता, हरियाणा,
				एस०सी०ओ० नं० ४८ – ७०, सैक्टर
				17 – ए, चंडीगढ़ ।
1410 / 2009 में	1.9.2010	3 000 / -	एम0सी0शर्मा, भिवानी बनाम	राज्य परिवहन नियंत्र्क, हरियाणा,
284/2010			सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण,	द्वितीय तल, 30 बेज बिल्डिंग,
			भिवानी ।	सैक्टर 17, चंडीगढ़ ।

1935/2010	में	16.9.2010	10000/-	श्री जितेन्द्र शर्मा, जिन्द बनाम डा०	महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं,
434/2010				धन कुमार, राज्य जन	हरियाणा, सैक्टर 6, पंचकूला ।
				सूचना-कम-उप सिविल सर्जन,	
				जिन्द ।	
1935/2010	में	16.9.2010	6000/-	श्री जितेन्द्र शर्मा, जिन्द बनाम डा०	महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं,
440/2010				धन कुमार, राज्य जन	हरियाणा, सैक्टर 6, पंचकूला ।
				सूचना-कम-उप सिविल सर्जन,	
				जिन्द ।	
1899/2010	में	21.9.2010	4000/-	श्री जितेन्द्र कुमार गोयल, भिवानी	उच्च शिक्षा आयुक्त, हरियाणा,
439/2010				बनाम श्रीमति रूकमणी परमार,	शिक्षा सदन, सैक्टर 5, पंचकूला
				तत्कालीन राज्य जन सूचना	1
				अधिकारी – कम – सहायक निदशक,	
				महाविधालय – 11, कार्यालय उच्च	
				शिक्षा आयुक्त, हरियाणा ।	
1904/2010	में	22.9.2010	5000/-	श्री अमीर चंद, कुरूक्षेत्र बनाम डा०	महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं,
432/2010				मधु शर्मा, राज्य जन	हरियाणा, सैक्टर 6, पंचकूला ।
				सूचना-कम-उप सिविल सर्जन,	
				कुरूक्षेत्र ।	
235/2010	में	29.9.2010	6250/-	श्री तेज भान, जिन्द बनाम श्री	निदेशक, सामाजिक न्याय एंव
401/2010				सत्यावान, राज्य जन सूचना	अधिकारिता, हरियाणा,
				अधिकारी – कम – जिला समाज	
				कल्याण अधिकारी, जिन्द ।	17 – ए, चंडीगढ़ ।
1601/2010	में	3 0.9.2010	500/-	श्री जी0डी0 गुप्ता, यमुनानगर बनाम	उच्च शिक्षा आयुक्त, हरियाणा,

376/2010				श्री एस0पी0 सिंह, तत्कालीन राज्य जन सूचना	
				अधिकारी – कम – सहायक निदेशक,	
				कार्यालय उच्च शिक्षा आयुक्त,	
				हरियाणा ।	
1601/2010	में	3 0.9.2010	1000 / -	श्री जी०डी० गुप्ता, यमुनानगर बनाम	उच्च शिक्षा आयुक्त, हरियाणा,
3 29 / 2010				श्री भूप सिंह, तत्कालीन राज्य जन	शिक्षा सदन, सैक्टर 5, पंचकूला
				सूचना अधिकारी – कम – सहायक	1
				निदेशक, कार्यालय उच्च शिक्षा	
				आयुक्त, हरियाणा ।	
452/2010	में	3 0.09.	2000/-	श्री दीन दयाल सोनी, भिवानी बनाम	निदेशक, शहरी एवं स्थानीय
186/2010		2010		श्री ए०के०जैन, राज्य जन सूचना	निकाय विभाग, हरियाणा,
				अधिकारी – कम – कार्यकारी	एस0सी0ओ0 नं0 6-7, सैक्टर 17
				अधिकारी, नगर परिषद, पलवल ।	बी, चंडीगढ़ ।
453 / 2010	में	3 0.9.2010	2000/-	श्री दीन दयाल सोनी, भिवानी बनाम	निदेशक शहरी एवं स्थानीय
187 / 2010	•1	3 0.7.2010	20007 —	श्री ए०के०जैन, राज्य जन सूचना	
1677 2010				अधिकारी – कम – कार्यकारी	एस0सी0ओ0 नं 0 6 – 7, सैक्टर 17
				अधिकारी, नगर परिषद, पलवल ।	बी, चंडीगढ़ ।
				जावकारा, गगर पारपप, पलपल ।	બા, બકાવણ ા
454/2010	में	1.10.2010	1000/-	श्री दीन दयाल सोनी, भिवानी बनाम	निदेशक, शहरी एवं स्थानीय
215 / 2010				श्री ए०के०जैन, राज्य जन सूचना	निकाय विभाग, हरियाणा,
				अधिकारी – कम – कार्यकारी	एस0सी0ओ0 नं0 6-7, सैक्टर 17

			अधिकारी, नगर परिषद, भिवानी ।	बी, चंडीगढ़ ।
456/2010 में	1.10.2010	1000 / -	श्री दीन दयाल सोनी, भिवानी बनाम	निदेशक, शहरी एवं स्थानीय
188 / 2010			श्री ए०के०जैन, राज्य जन सूचना	निकाय विभाग, हरियाणा,
			अधिकारी – कम – कार्यकारी	एस0सी0ओ0 नं0 6-7, सैक्टर 17
			अधिकारी, नगर परिषद, भिवानी ।	बी, चंडीगढ़ ।
290 / 2010 में	7.10.2010	5000/-	श्रीमती अगुंरी देवी, सोनीपत बनाम	निदेशक समाजिक न्याय और
1511/2010			श्रीमती आशा किरण हसीजा, राज्य	अधिकारिता विभाग, हरियाणा,
			जन सूचना अधिकारी-कम-जिला	एस.ई.ओ. नं0 68-70, सैक्टर-
			समाज कल्याण अधिकारी, सोनीपत	17 ए, चण्डीगढ़।
3 75 / 2010 में	12.10.2010	12500/-	श्री जगदीश चंद डोडा बनाम श्री	मुख्य वास्तुकार, वास्तुकला
1592/2010			आर. एल.गोयल, राज्य जन सूचना	विभाग, हरियाणा, एस०सी०ओ०
			अधिकारी (5000 / – रू०) श्री परवीर	नं0 42-44, सैक्टर 17 ए,
			गोयल (7500 / — रू0) — कार्यालय	चंडीगढ़ ।
			मुख्य वास्तुकार, हरियाणा ।	
448/2010 में	13.10.2010	1000 / -	श्री जिले सिंह, दिल्ली बनाम राज्य	राज्य चुनाव आयोग, पंचकूला।
1967/2010			चुनाव आयोग, पंचकूला	
385/2009 में	13.10.2010	15000 / -	श्री हुकुम सिंह, नुह बनाम प्रवीन	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला
300/2009			कुमार, राज्य जन सूचना	ग्रामीण विकास एजेन्सी (डी.आर.
			अधिकारी – कम – ऐ.डी.	डी.ऐ)ए गुड़गांव।
			सी – कम – मुख्य कार्यकारी	
			अधिकारी, डी.आर.डी.ऐ, गुड़गांव।	
3 9 4 2 0 / 10 में 3 5 8 / 10	18.10.2010	5000/-	श्री विवेक सैनी, हिसार बनाम श्री	प्रबंध निदेशक, दक्षिण हरियाणा
में			आर.आर.गोयल, राज्य जन सूचना	बिजली वितरण निगम, विद्युत
23 1,23 1ए,23 ाबी / 2010			अधिकारी – कम – महाप्रबंधक (आई.	नगर, हिसार ।

				1
			टी) दक्षिण हरियाणा बिजली	
			वितरण निगम, हिसार ।	
में	26.10.2010	15000 / -	श्री मनमोहन भरटाना बनाम श्रीमती	निर्देशक विकास एंव पंचायत,
			सरोज, राज्य जन सूचना	हरियाणा, पंचायत भवन, प्लोट
			अधिकारी-कम- सरपंच, ग्राम	नं0 3 , सैक्टर – 28 ऐ, चण्डीगढ़।
			पंचायत, सनवर, भिवानी।	
में	26.10.2010	15000 / -	श्री जाकीर हुसैन बनाम श्री उनीश,	निर्देशक विकास एंव पंचायत,
में			राज्य जन सूचना अधिकारी,	हरियाणा, पंचायत भवन, प्लोट
			सरपंच, ग्राम पंचायत, कटालिया	नं० ३, सैक्टर-28 ऐ, चण्डीगढ़।
			सरिया, जिला पलवल।	
में	24.9.2010	25000/-	श्री किशोरी लाल, नारनौल बनाम	प्रमुख लोक निर्माण में अभियंता
			श्री डी.के. गम्भीर, राज्य जन सूचना	(जल आपूर्ति और स्वच्छता),
			अधिकारी – कम – अधिशाषी	वेज 13 - 18, सैक्टर - 4,
			अभियंता, जन स्वास्थय, भिवानी।	पंचकूला।
में	24.9.2010	25000/-	श्री दीन दयाल सोनी, भिवानी बनाम	प्रमुख लोक निर्माण में अभियंता
			श्री डी०के०गम्भीर, राज्य जन	(जल आपूर्ति और स्वच्छता),
			सूचना अधिकारी-कम- अधिशाषी	वेज 13 - 18, सैक्टर - 4,
			अभियंता, जन स्वास्थय, भिवानी।	पंचकूला।
में	24.9.2010	15000 / -	श्री दीन दयाल सोनी, भिवानी बनाम	प्रमुख लोक निर्माण में अभियंता
			श्री डी०के०गम्भीर, राज्य जन	(जल आपूर्ति और स्वच्छता),
			सूचना अधिकारी-कम- अधिशाषी	वेज 13 - 18, सैक्टर - 4,
			अभियंता, जन स्वास्थय, भिवानी।	पंचकूला।
में	10.11.2010	10000/-	श्री राजेश, सिरसा बनाम श्री एस.	रजिस्ट्रार, सहकारी, हरियाणा,
			एस. कोहली, सी.ई.ओ, सिरसा, संघ	बेज नं0 27-30, सहकारिता
	ř ř ř ř	中 26.10.2010 中 24.9.2010 中 24.9.2010 中 24.9.2010	# 26.10.2010 15000 / - # 24.9.2010 25000 / - # 24.9.2010 25000 / - # 24.9.2010 15000 / -	में 26.10.2010 15000 / - श्री मनमोहन भरटाना बनाम श्रीमती सरोज, राज्य जन सूचना अधिकारी – कम — सरपंच, ग्राम पंचायत, सनवर, भिवानी। में 26.10.2010 15000 / - श्री जाकीर हुसैन बनाम श्री उनीश, राज्य जन सूचना अधिकारी, सरपंच, ग्राम पंचायत, कटालिया सरिया, जिला पलवल। में 24.9.2010 25000 / - श्री किशोरी लाल, नारनौल बनाम श्री डी.के. गम्भीर, राज्य जन सूचना अधिकारी – कम — अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थय, भिवानी। में 24.9.2010 25000 / - श्री दीन दयाल सोनी, भिवानी बनाम श्री डी०के०गम्भीर, राज्य जन सूचना अधिकारी – कम — अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य, भिवानी। में 24.9.2010 15000 / - श्री दीन दयाल सोनी, भिवानी बनाम श्री डी०के०गम्भीर, राज्य जन सूचना अधिकारी – कम — अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य, भिवानी। में 10.11.2010 10000 / - श्री राजेश, सिरसा बनाम श्री एस.

				सीमित सहकारी दुग्ध उत्पादक, भवन, सैक्टर-2, पंचकूला।
				सिरसा
422/2010	में	9.12.2010	10000/-	श्री जैन नरायण बनाम श्री भारज निर्देशक विकास एंव पंचायत,
289/2010				गिरी, राज्य जन सूचना पंचायत भवन, प्लोट नं0 3,
				अधिकारी – कम – खंड विकास एंव सैक्टर – 28 ऐ, चण्डीगढ़।
				पंचायत अधिकारी, दादरी-1,
				भिवानी।

परिशिष्ट (च)

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत धारा 19(8)(बी) राज्य सूचना आयोग द्वारा अपीलार्थी/शिकायतकर्ता को दिये गये मुआवज़े का विवरण अविध 1-1-2010 से 31-12-2010

केस नं0	ओदश की तिथि	मुआवजे की रा शि	पक्षों का विवरण
194/2009 में	6/1/ 2010	1000/-	श्री मनोज कुमार करवासरा बनाम संपदा अधिकारी, हुडा, हिसार
13 03 /2009			
353/2009	6/1/ 2010	2000/-	श्री विनीत सहगल बनाम भूमि अधिकरण अधिकारी, पंचकूला
3 66 / 2009 में	6/1/ 2010	5000/-	श्री धर्म पाल बनाम स्वास्थ्य सेवाएं, हरियाणा
1039/2009			
2913 /2009	7/1/ 2010	2000/-	श्री रघुवीर सिंह बनाम आबकारी व कराधान आयुक्त, कैथल
2924/2009	7/1/ 2010		डा० हिम्मत सिंह रतनो बनाम संपदा अधिकारी, हुडा बहादुरगढ
		4000/-	
356/2009	7/1/ 2010	2000/-	श्री एस.सी. मेहरा बनाम शहरी और देश यौजना, हरियाणा
2999/2009	8/1/ 2010	2000/-	श्री जीत सिंह बनाम सेशन अधीक्षक –ा उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम
			लि0, पंचकुला
3 048 / 2009	8/1/ 2010	5000/-	श्री नरेन्द्र कुमार बनाम सेशन अधीक्षक -। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण
			निगम लि0, पंचकुला
2850/2009	11/1/ 2010	1000/-	कुमारी रेखा बनाम संपदा अधिकारी-1, हुडा, गुडगांव
2108/2009	12/1/ 2010	5000/-	कुमारी रोजी शर्मा बनाम सी.ऐ.ओ, हरियाणा बिजली उत्पादन निगम लि0,
			पंचकुला
2957/2009	12/1/ 2010	5000/-	श्री भूप सिंह यादव बनाम संपदा अधिकारी – 1, हुडा, गुडगांव

251/2009 में	12/1/ 2010	168 / -	श्री मदन लाल शर्मा बनाम स्कूल शिक्षा, हरियाणा
1212 / 2009			
2937/2009	12/1/ 2010	3000/-	कुमारी रोशनी देवी बनाम भूमि अधिग्रहण अधिकारी, रोहतक
2933/2009	13 /1/ 2010	5000/-	श्री अनिल ग्रोवर बनाम संपदा अधिकारी, हुडा, पंचकुला
2959/2009	14/1/ 2010	1500 / -	श्री संजीव कुमार बनाम सूचना एंव जन संम्पर्क विभाग, हरियाणा
400/2009	14/1/ 2010	5000/-	श्री अशोक कुमार बनाम जिला समाजिक कल्याण अधिकारी, सोनीपत
403 / 2009	14/1/ 2010	1000/-	श्री तरसेम कुमार शर्मा बनाम जिला समाज कल्याण अधिकारी, करनाल
2269/2009	14/1/ 2010	10000/-	डा० दुशयंत गुप्ता बनाम कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्रा
2950/2009	18/1/ 2010	2000/-	श्री दीपक कुमार बनाम उपायुक्त झज्जर
152 / 2009 में	19/1/ 2010	3 000 / -	श्री महेश कुमार गुप्ता बनाम संपदा अधिकारी, हुडा, सोनीपत
1899/2008			
510 / 2009 में	19/1/ 2010	500/-	श्री हरि सिंह करदेवाल बनाम संपदा अधिकारी, हुडा, करनाल
1168 / 2009			
3 068 / 2009	21/1/ 2010	5000/-	श्री विकास अवस्थी बनाम उपायुक्त पंचकुला
3 075 / 2009	21/1/ 2010	2000/-	श्री दया कृष्ण राठी बनाम भूमि अधिग्रहण अधिकारी, रोहतक
3 077 / 2009	21/1/ 2010	3000/-	श्री राम किशन वर्मा बनाम उपायुक्त, नारनोल
253 / 2009 में	21/1/ 2010	500/-	श्री दिलंबाग सिंह बनाम जिला समाज कल्याण अधिकारी, सोनीपत
162/2009			
583 / 2009 में	21/1/ 2010	16000 / -	श्री बी.आर. दलाल बनाम अधीक्षक अभियंता, वाईडब्लयूएस सर्कल, सिंचाई
2521/2009			विभाग, जींद
3 102 / 2009	28/1/ 2010	1000 / -	श्री धर्मपाल बनाम दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लि0, गुडगांव
663 / 2009 में	28/1/ 2010	3 000 / -	श्री वीरभान भटटी बनाम कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्रा
2884/2009			
3 084 / 2009	28/1/ 2010	1100 / -	श्री सतीश चन्द्र बनाम कर्मचारी चयन आयोग, हरियाणा

3 13 4 / 2009	1/2/ 2010	1000 / -	श्री राजीव कुमार वर्मा बनाम स्वास्थ्य सेवाएं, हरियाणा
3007/2009	2/2/ 2010	1000 / -	श्री विजय गुप्ता बनाम सिविल सर्जन, हिसार
3034/2009	2/2/ 2010	1000/-	श्री देशपाल सिंह बनाम उपायुक्त, पानीपत
1052/2010	3 /2 / 2010	1040/-	श्री अजीत सिंह बनाम हरियाणा लोक सेवाएं आयोग
3 /2010	4/2/ 2010	1000 / -	श्री सुरजीत सिंह बनाम जिला राजस्व अधिकारी, कुरूक्षेत्र
19 / 2010	4/2/ 2010	5000/-	राष्ट्रीय इंजीनियरिंग निगम बनाम संपदा अधिकारी, हुडा, फरीदाबाद
2556/2009	9/2/ 2010	5000/-	श्री मोहिन्द्र पाल बनाम संपदा अधिकारी, हुडा, फरीदाबाद
1158 / 2009	10/2/ 2010	1200 / -	श्री सतीन्द्र सिंह बनाम जिला शिक्षा अधिकारी, रिवाडी
3156/2009	10/2/ 2010	10000 / -	श्री समय सिंह बनाम औद्योगिक प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, हरियाणा
24/2010	10/2/ 2010	500/-	श्रीमती नीलम सोबती बनाम समाजिक न्याय एंव अधिकारिता निगम, हरियाणा
2727/2010	10/2/ 2010	2500/-	श्री बलवान सिंह बनाम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग
1019 / 2010	11/2/ 2010	1000 / -	श्री करतार सिंह सहारण बनाम उच्च शिक्षा आयुक्त, पंचकुला
545 / 2009 में	11/2/ 2010	5000/-	डा० मलिक मनोपती बनाम एस.सी.ई.आर.टी, गुडगांव, हरियाणा
2279/2009			
3 019 / 2009	11/2/ 2010	2000/-	श्री धर्मपाल बनाम जंगल के उप संरक्षक, गुडगांव
143 /2010	15/2/ 2010	350/-	कुमारी तारावती बनाम भूमि अधिग्रहण अधिकारी, रोहतक
1063 /2010	16/2/ 2010	10000/-	श्री विजेन्द्र, पानीपत बनाम लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
3 183 /2009	18/2/ 2010	2000/-	श्री राम किशन वर्मा बनाम उपायुक्त, नारनौल
3 185 / 2009	18/2/ 2010	1000/-	श्री भूट राम बनाम उपायुक्त, नारनौल
1007/2010	19/2/ 2010	3 000 / -	श्री आर.एन.सकसेना बनाम महानिदेशक नगर एंव ग्राम योजना विभाग, हरियाणा
3156/2009	10/2/ 2010	10000/-	श्री समय सिंह बनाम औद्योगिक प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, हरियाणा
411/2009 में	2/3/2010	500/-	,
2084/2009			निगम लि0, पंचकुला

3 92 / 2009	2/3/2010	2000/-	श्री राजेश कुमार सिंगहाल, कुरूक्षेत्र बनाम राज्य परिवहन नियंत्रक विभाग,
			हरियाणा, ३० बेज बिल्डींग, सैक्टर – १७, चण्डीगढ
3 40 / 2009	3 /3 / 2010	1000 / -	श्री अबदुल हमीद खान बनाम महाप्रंबधक हरियाणा परिवहन विभाग, मेवात(नूह)
1111/2010	4/3/2010	5000/-	श्री रजनीश, जींद बनाम पुलीस अधीक्षक, जींद
3132/2009	4/3/2010	2000/-	श्री सुरेन्द्र सिंह कैरों बनाम खंड विकास एंव पंचायत अधिकारी, उकलाना
			(हिसार)
563 /2009 में	4/3/2010	2000/-	श्री जीतेश कुमार बनाम खंड विकास एंव पंचायत अधिकारी, होडल
1122/2009			
3 177 / 2009	5/3/2010	2000/-	श्री सुभाश चंद्र शर्मा बनाम पुलीस अधीक्षक, रिवाडी
3 173 /2009	5/3/2010	3 000 / -	श्री चंद्रसिंह नेगी बनाम जिला रजिस्ट्रार, फर्म एंव सोसाईटी, फरीदाबाद
5/2010	5/3/2010	1000 / -	श्री नरेन्द्र सिंह पहल बनाम उप प्रभागीय अधिकारी (सिविल), जींद
88 / 2010 में	8/3/2010	5000/-	श्री सुरेन्द्र सिंह बनाम खंड विकास एंव पंचायत अधिकारी, हांसी
2251/2009			
1070/2010	9/3/2010	3 000 / -	श्री अशोक कुमार पुरी बनाम उपायुक्त, गुडगांव
1072 / 2010	9/3/2010	1000/-	कप्तान हरकिशन दहीया बनाम उपायुक्त, सोनीपत
103 4 / 2010	9/3/2010	5000/-	श्री रघुवीर सिंह बनाम जिला शिक्षा अधिकारी, रोहतक
1106/2010	11/3/2010	500/-	श्री दीन दयाल सोनी बनाम प्रबंध निदेशक, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण
			निगम लि0, हिसार /भिवानी
1129/2010	11/3/2010	5000/-	श्री रमेश चंद्र बावा बनाम संपदा अधिकारी, हुडा , पंचकुला
3 171 / 2009	11/3/2010	500/-	श्री पी.एस सिंगहाल बनाम प्रबंध निदेशक, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम
			लि0, पंचकुला
3086, 3090,	18/3/2010	3 000 / -	श्री संजीव कुमार बनाम अधीक्षक (गोपनीय शाखा), हरियाणा कर्मचारी चयन
3 091 एंव			आयोग, पंचकुला
3095/2009			

1078 / 2010	23 /3 / 2010	500/-	श्री जीत राम यादव बनाम अधीक्षक(गोपनीय शाखा), हरियाणा कर्मचारी चयन
10,07 20.0			आयोग, पंचक्ला
2442/2009	23 /3 / 2010	2000/-	श्री नरेन्द्र कुमार धुल बनाम सरकारी कॉलेज,नाहर
1161/2010	25/3/2010	1000 / -	कप्तान पवन कुमार आचंल बनाम सिविल सर्जन,भिवानी
566/2009 में	25/3/2010	5000/-	श्री राकेश बनाम खंड विकास पंचायत अधिकारी, सोनीपत
2255/2009			
62/2010	30/3/2010	5000/-	श्री रघबीर सिंह बनाम उप आबकारी एंव कराधान आयुक्त
1158 / 2010	30/3/2010	5000/-	श्री परदीप कुमार शर्मा बनाम पुलीस अधीक्षक, महेन्द्रगढ
1157 / 2010	31/3 / 2010	2000/-	श्री देवेन्द्र प्रकाश मित्तल बनाम प्रधान, गुरू नानक खालसा कॉलेज, यमुनानगर
1152 / 2010	5/4/2010	2000/-	श्री अजीत मलिक, पंचकुला बनाम संपदा अधिकारी-II, हुडा, गुडगांव
89/2010	6/4/2010	1000 / -	श्री मेवा सिंह, कैथल बनाम सेशन अधीक्षक -ा उत्तर हरियाणा बिजली वितरण
			निगम लि0, कैथल
1171/2010	6/4/2010	1000 / -	डा० एम. सी शर्मा, भिवानी बनाम सिविल सर्जन, पानीपत
2813 /2009	8/4/2010	2000/-	श्री आर.के वर्मा, चण्डीगढ बनाम डी.सी.आर, विज्ञान एंव तकनीकी विश्व
			विद्यालय, सोनीपत
1192/2010	8/4/2010	1000/-	श्री राम किशन वर्मा, नारनोल बनाम तहसीलदार, नारनौल
1219 / 2010	8/4/2010	500/-	श्री राम जोरी, जींद बनाम अधीक्षक (गोपनीय) हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग,
			पंचकुला
1230/2010	15/4/2010	1500 / -	श्री अभय मिश्रा, रोहतक बनाम डी.एफ.ओ (पश्चिम), वन विभाग, हिसार
113 6 / 2010	15/4/2010	2000/-	श्री शिव लाल शर्मा, पलवल बनाम प्रधान, जंगल के मुख्य संरक्षक, पंचकुला
107/2010	20/4/2010	2000/-	श्री नरेश पंवर, नई दिल्ली बनाम एक्सन /उपनगरीय, दक्षिण हरियाणा बिजली
			वितरण निगम लि0, गुडगांव
1181/2009	21/4/2010	1000 / -	श्री एम.सी शर्मा, भिवानी बनाम अधीक्षक (गोपनीय) हरियाणा कर्मचारी चय न
			आयोग, पंचकुला

1047/2010	28/4/2010	1000 / -	श्रीमती संतोष बेनीवाल, हिसार बनाम जी.एम/डी.एस.एम एंव ई.ऐ, दक्षिण
			हरियाणा बिजली वितरण निगम लि0, हिसार
1283 /2010	28/4/2010	2000/-	श्री जगन शाह सिंह, फरीदाबाद बनाम जंगल के उप संरक्षक, फरीदाबाद
1236/2010	28/4/2010	2000/-	श्री सुदेश कुमार गोयन, दिल्ली बनाम मुख्य अधीक्षक (सेवां विभाग), हरियाणा
1241/2010	29/4/2010	5000/-	श्री राजीव सिंह, हिसार बनाम उप आबकारी एंव कराधान आयुक्त, हिसार
1242/2010	29/4/2010	5000/-	श्रीमती प्रेम लता, हिसार बनाम संपदा अधिकारी, हुडा, हिसार
1243 /2010	29/4/2010	5000/-	श्री कपिल गर्ग बनाम शहर और देश योजना विभाग, हरियाणा
1204/2010	30/4/2010	2000/-	श्री मनोज कुमार करवासरा, हिसार बनाम संपदा अधिकारी, हुडा, हिसार
13 2 / 2010	30/4/2010	500/-	श्रीमती सुनीता देवी, जींद बनाम बाल कल्याण परियोजना अधिकारी, जींद
13 21 / 2010	30/4/2010	500/-	श्रीमती सुनीता देवी, जींद बनाम कार्यक्रम अधिकारी, जिला स्तर आई.सी.डी.एस
			सैल, जींद
1266/2010	21/4/2010	5000/-	श्री मनोज कुमार बनाम प्रधान, तकनीकी शिक्षण संस्थान, यमुनानगर
142/2010	4/5/2010	1000/-	श्री भगवान वंशीष्ट, ऐडवोकेट बनाम ग्राम बाहण विद्या प्राचरणी सभा, रोहतक
1245 / 2010	4/5/2010	3 000 / -	श्री वीरेन्द्र ठाकुर बनाम एफ.सी एंव पी.एस, ग्रह विभाग, हरियाणा
85/2010	5/5/2010	2000/-	श्री सुख देव बनाम संपदा अधिकारी-॥, हुडा, गुडगांव
1254/2010	5/5/2010	3 000 / -	श्री प्रेम सिंह बनाम उप प्रभागीय अधिकारी (सिविल), कालका
1255/2010	5/5/2010	5000/-	श्री सम्राट सिंह राव बनाम कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, अम्बाला कैंट
13 46 / 2010	7/5/2010	500/-	डा० राजपाल धनकर, हिसार बनाम मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा
13 95 / 2010	7/5/2010	500/-	श्री तेज सिंह, जींद बनाम प्रधान, दयानंद कॉलेज, हिसार
13 3 8 / 2010	7/5/2010	2000/-	श्री प्रेम सिंह, पंचकुला बनाम सचिव, नगर समिति, पिजौंर
1211/2010	10/5/2010	5000/-	श्री तारा चंद जैन बनाम सचिव, आबकारी एंव कराधान विभाग, हरियाणा
68/2010	10/5/2010	5000/-	श्री संजीव कुमार गोयल बनाम नगर एंव ग्राम आयोजन विभाग, हरियाणा
13 00 / 2010	10/5/2010	5000/-	श्री सुखपाल सिंह, वकील बनाम उपायुक्त, भिवानी
36, 2002/2010	12/5/2010	2000/-	श्री दलजीत सिंह, यमुनानगर बनाम जिला विकास पंचायत अधिकारी, यमुनानगर

में 3010/2009			
201/2010 में	18/5/2010	5000/-	श्री जसविंदर कुमार, कैथल बनाम ग्राम पंचायत, खरकान, गुहला, कैथल
1221/2010			
1431/2010	19/5/2010	2000/-	श्री सुरेन्द्र सिंह बिसला, हिसार बनाम कर्मचारी चयन आयोग
13 79 / 2010	21/5/2010	1000 / -	डा० अनिल पाणीकर, हिसार बनाम हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार
13 59 / 2010	26/5/2010	5000/-	श्री एस.एल. निजहावा बनाम संपदा अधिकारी, हुडा, पंचकुला
1210 / 2010	26/5/2010	15000 / -	श्री शाम सुन्दर दुगल बनाम संपदा अधिकारी, हुडा, पंचकुला
113 6 / 2010	27/5/2010	2000/-	श्री श्याम लाल शर्मा, पलवल बनाम प्रधान, जंगल के मुख्य संरक्षक, हरियाणा
1230/2010	27/5/2010	1500 / -	श्री अभय मिश्रा, रोहतक बनाम प्रभागीय वन अधिकारी, हिसार
13 3 6 / 2010	4/5/2010	2000/-	श्री रवी दत्त शर्मा बनाम कार्यकारी अधिकारी नगर निगम, भिवानी
13 43 /2010	4/5/2010	5000/-	डा० एम.सी. शर्मा, भिवानी बनामअधिशासी अभियतां प्रातीय प्रभाग सार्वजनिक
			कार्य विभाग(बी एं0 आर) शाखा, भिवानी
10/2010	1/6/2010	1000 / -	कुमारी त्रिपता कौर, दिल्ली बनाम मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह- सचिव जिला
			विधिक सेवा प्राधिकरण
126/2010	2/6/2010	5000/-	श्री कमलेश कुमार, अम्बाला कैंट बनाम भूमि अधिग्रहण अधिकारी, पंचकुला
128/2010	2/6/2010	5000/-	श्रीमती प्रेम गोयल, फरीदाबाद बनाम संपदा अधिकारी, हुडा, गुडगांव
1410/2010	2/6/2010	2000/-	डा० एम.सी. शर्मा, भिवानी बनाम सचिव, क्षेत्रिय परिवहन प्राधिकरण, भिवानी
31/2010 में	3 /6 / 2010	5000/-	श्री ऐ.के. शर्मा, फरीदाबाद बनाम रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, गुडगांव
2675/2009			
13 93 /2010	4/6/2010	15000 / -	श्री उमेश कुमार भारदबाज, सोनीपत बनाम संपदा अधिकारी, हुडा, गुडगांव
13 94 / 2010	4/6/2010	2000/-	श्री धर्म सिंह, नई दिल्ली बनाम संपदा अधिकारी, हुडा, सोनीपत
1498/2010	8/6/2010	2000/-	मोहम्मद अश्रीफ, गुडगांव बनाम उप महाप्रबंधक (ओ.पी) प्रभाग, दक्षिण
			हरियाणा बिजली वितरण निगम, गुडगांव
1450/2010	10/6/2010	5000/-	श्री खुशी राम, हिसार बनाम संपदा अधिकारी, हुडा, बहादुरगड

		_	
1457 / 2010	11/6/2010	3 000 / -	श्री जगबीर सिंह पुनिया, दिल्ली बनाम संपदा अधिकारी, हुडा, बहादुरगड
192/2010	16/6/2010	3000/-	श्री गुलशन मेहता, चण्डीगढ बनाम महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवांए, हरियाणा
194/2010 में	22/6/2010	5000/-	श्री नरेश कुमार जून, झज्जर बनाम वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, समान्य
1105/2010			हस्पताल, बहादुरगढ
1586/2010	23 /6/2010	500/-	श्री संजय कुमार विशष्ठ, भिवानी बनाम प्रधान, दयानंद कॉलेज, हिसार
1598/2010	23 /6/2010	500/-	श्री संजय कुमार विशष्ठ, भिवानी बनाम प्रधान, दयानंद कॉलेज, हिसार
1633/2010	24/6/2010	1100 / -	श्री बलजीत राज, सिरसा बनाम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, पंचकुला
183 /2010	30/6/2010	5000/-	श्री आर.के. गुप्ता, फरीदाबाद बनाम भूमि अधिग्रहण अधिकारी, शहरी संपदा
			विभाग, हरियाणा
11/2010	1/7/2010	500/-	श्री जितेन्द्र सिंह, मेवात बनाम सिविल सर्जन, मेवात
1557/2010	1/7/2010	5000/-	श्री विजय गोस्वामी, महेन्द्रगढ बनाम जिला राजस्व अधिकारी, नारनौल
214/2010	1/7/2010	2000/-	श्री दीन दयाल सोनी, भिवानी बनाम कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद, भिवानी
1566/2010	6/7/2010	2000/-	श्री जय प्रकाश, जींद बनाम महाप्रबंधक, हरियाणा परिवहन, चण्डीगढ
1587/2010	7/7/2010	5000/-	श्री दुर्गा दत्त, चण्डीगढ बनाम महाप्रबंधक, हरियाणा परिवहन, चण्डीगढ
1590/2010	7/7/2010	2000/-	श्री परदीप कुमार शर्मा, महेन्द्रगढ बनाम पुलिस महानिदेशक, पंचकुला
23 182009	7/7/2010	2000/-	श्री दीन दयाल सोनी, भिवानी बनाम जिला विवाद और निवारण मंच, भिवानी
1438/1440 -	8/7/2010	2100 / -	बी.आर. दलाल, जींद बनाम निदेशक जल संसाधन, कृषि विभाग, हरियाणा
1441/2010			
1629 / 2010	13 /7 /2010	2000/-	श्री नैन सिंह त्यागी, सोनीपत बनाम उप महाप्रबंधक (ओ.पी) प्रभाग, दक्षिण
			हरियाणा बिजली वितरण निगम, सोनीपत
1773 /2010	20/7/2010	1000 / -	श्री रमेश चंद, मोहाली बनाम डिप्टी सिविल सर्जन, पंचकुला
17781/2010	20/7/2010	1000 / -	श्री दिलाराम, दिल्ली बनाम सी.सी.एस, हरियाणा कृषि विशविद्यालय, हिसार
235/2010 में	20/7/2010	2000/-	श्री पवन शर्मा, कुरूक्षेत्र बनाम सरंपच ग्राम पंचायत, खेरी, कुरूक्षेत्र
47/2010			

1638/2010	22/7/2010	5000/-	श्रीमती जनक दुलारी, चण्डीगढ बनाम संपदा अधिकारी, हुडा, पंचकुला
1672/2010	22/7/2010	5000/-	श्री सत्या नरायन, घनौर बनाम तहसीलदार, गोहाना
1425/2010	22/7/2010	2000/-	श्रीमती सुमन सोनी बनाम आबकारी और कराधान आयुक्त, हरियाणा, पंचकुला
1427 / 2010	22/7/2010	1000 / -	श्रीमती चम्पा देवी, महेन्द्रगढ बनाम पुलिस अधीक्षक, नारनौल
242/2010	22/7/2010	1000 / -	श्री सुरेश गोयल, फरीदाबाद बनाम अधीक्षण अभियंता, हुडा, फरीदाबाद
1623 /2010	23 /7 /2010	2000/-	श्रीमती मुनी देवी, भिवानी बनाम आबकारी और कराधान आयुक्त, हरियाणा,
			पंचकुला
256/2010	23 /7 /2010	1000 / -	कुमारी पदमा अग्रवाल, संगरूर बनाम जिला नगर योजनाकार, अम्बाला शहर
1693 /2010	27/7/2010	2000/-	श्री प्रताप सिंह, भिवानी बनाम परिवहन आयुक्त, हरयाणा
1694/2010	28/7/2010	3000/-	श्री सत्या नरायन गुप्ता, अम्बाला बनाम संपदा अधिकारी, हुडा, अम्बाला
1695/2010	28/7/2010	2000/-	श्री सतीष कुमार जैन, सोनीपत बनाम संपदा अधिकारी, हुँडा, सोनीपत
1696/2010	28/7/2010	5000/-	कुमारी अनु गर्ग, फरीदाबाद बनाम नगर व ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा
1697/2010	28/7/2010	3000/-	कुमारी अनु गर्ग, फरीदाबाद बनाम नगर व ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा
1746 / 2010	29/7/2010	2000/-	श्री राम कुमार समाधीयान, पंचकुला बनाम भूमि अधिग्रहण अधिकारी, शहरी
			संपदा विभाग, हरियाणा
1748/2010	29/7/2010	5000/-	श्री शुल्कशन भारदबाज, फरीदाबाद बनाम परिवहन आयुक्त, हरियाणा, चण्डीगढ
283 / 2010	29/7/2010	500/-	श्री कृष्ण लाल, कुरूक्षेत्र बनाम उप महाप्रबंधक (ओ.पी) प्रभाग, दक्षिण हरियाणा
			बिजली वितरण निगम, कुरूक्षेत्र
1745/2010	29/7/2010	1000 / -	श्री फुल सिंह, पुनहाना बनाम सचिव नगर समिति, पुनहाना
1766/2010	29/7/2010	2500/-	श्री अमर सिंह, रिवाडी बनाम कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद, रिवाडी
122 / 2010 में	30/7/2010	5000/-	श्री विनोद अग्रवाल, फरीदाबाद बनाम उप महाप्रबंधक (ओ.पी) प्रभाग, दक्षिण
2131/2009			हरियाणा बिजली वितरण निगम, बल्लभगढ
1913 /2010	2/8/ 2010	5000/-	श्री सतीश कुमार शर्मा, अम्बाला बनाम जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, अम्बाला
1836/2010	3 /8 /2010	500/-	श्री राम मेहर शर्मा, जींद बनाम स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा

1839/2010	4/8/2010	500/-	श्री राजेश्वर प्रसाद गुप्ता, झज्जर बनाम मुख्य चिकित्सा अधिकारी, झज्जर
262/2010	4/8/2010	500/-	श्रीमती कृष्णा दहीया बनाम कार्यकम अधिकारी, जिला स्तर, आई.सी.डी.एस,
			फरीदाबाद
264/2010	4/8/2010	500/-	श्रीमती कृष्णा दहीया बनाम कार्यकम अधिकारी, जिला स्तर, आई.सी.डी.एस,
			फरीदाबाद
261/2010	4/8/2010	500/-	श्री राम निवास कौशिक, सोनीपत बनाम डिप्टी श्रम आयुक्त, हरियाणा
298/2010	5/8/2010	1000 / -	श्री शाम सुन्दर, पानीपत बनाम उप महाप्रबंधक (ओ.पी) प्रभाग, उत्तर हरियाणा
			बिजली वितरण निगम, पानीपत
1873 /2010	10 / 8 / 2010	500/-	श्री धर्मबीर, पानीपत बनाम सिविल सर्जन, पानीपत
235/2010	10 / 8 / 2010	500/-	श्री तेज भान, जींद बनाम जिला समाज कल्याण अधिकारी, जींद
1916 / 2010	10 / 8 / 2010	1000 / -	श्री प्रेम सिंह, पंचकुला बनाम नगर परिषद, पिजौंर
1870 / 2010	11/8/2010	500/-	कुमारी ज्योति रूकैया, फतेहाबाद बनाम महाराजा अग्रसेन चिकित्सा कॉलेज,
			अग्रोहा
1956 / 2010 में	19 / 8 / 2010	500/-	श्री अनिल कुमार गर्ग, सिरसा बनाम सी.एम.के, नेशनल पोस्ट ग्रेजुएट गर्ल्स
1077 / 2010			कॉलेज, सिरसा
1960/2010	19 / 8 / 2010	500/-	श्री दीन दयाल सोनी, भिवानी बनाम प्रधान चिकित्सा अधिकारी, सामान्य
			हस्पताल, भिवानी
291/2010	19 / 8 / 2010	1100 / -	श्री अरूण कौशिक, महेन्द्रगढ बनाम कर्मचारी चयन आयोग, हरियाणा, पंचकुला
1927 / 2010	24/8/2010	3000/-	श्री वीरेन्द्र ठाकुर, अम्बाला बनाम एफ.सी. एंव पी.एस, हरियाणा सरकार, ग्रह
			विभाग
2002/2010	24/8/2010	1000 / -	डा० राम निवास, सिरसा बनाम हरियाणा लोक सेवा आयोग, पंचकुला
2024/2010	25/8/2010	1000 / -	श्री राजेश कुमार जींदल, रोहतक बनाम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग,
			पंचकुला

2361/2010	25/8/2010	1000 / -	श्री विनोद कुमार बनाम जिला कल्याण अधिकारी, फरीदाबाद		
265/2010	26/8/2010	500/-	श्रीमती सुनीता देवी, रिवारी बनाम राज्य चुनाव आयोग, हरियाणा, पंचकुला		
1898/2010	26/8/2010	1000/-	श्री संजय कुमार विशष्ठ बनाम दयानंद कॉलेज, हिसार		
1851/2010	26/8/2010	2000/-	मोहम्मद अश्रीफ, गुडगांव बनाम संपदा अधािकारी-ा, हुडा, गुडगांव		
2033/2010	27/8/2010	500/-	श्री अभय मिश्रा, रोहतक बनाम प्रधान, जंगल के मुख्य सरक्षंक, हरियाणा		
1968 / 2010	31/8/2010	2000/-	श्री एच.सी. अरोरा, चण्डीगढ बनाम नगर व ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा,		
			चण्डीगढ		
1980/2010	31/8/2010	1000 / -	श्री एम.सी. शर्मा, भिवानी बनाम कर्मचारी चयन आयोग, हरियाणा		
1962 / 2010	1/9/2010	3000/-	श्री सोहन लाल, चण्डीगढ बनाम परिवहन आयुक्त, हरियाणा, चण्डीगढ		
1964/2010	1/9/2010	1000 / -	श्री कुलराज कुमार भारदवाज, फरीदाबाद बनाम नगर व ग्राम आयोजना विभाग,		
			हरियाणा, चण्डीगढ		
2104/2010	6/9/2010	500/-	श्री पंकज कुमार, सिरसा बनाम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, पंचकुला		
2030/2010	6/9/2010	500/-	डा० रवी दत्त, महेन्द्रगढ बनाम हरियाणा लोक सेवा आयोग, पंचकुला		
213 0 / 2010	7/9/2010	5000/-	श्री संजीव चतुर्वेदी, पंचकुला बनाम एफ.सी. एंव पी.एस, हरियाणा सरकार, वन		
			विभाग		
2144/2010	8/9/2010	500/-	श्री अमित कुमार, कुरूक्षेत्र बनाम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, पंचकुला		
2149 / 2010	9/9/2010	1500 / -	श्री समय राम हुडा, रोहतक बनाम हरियाणा लोक सेवा आयोग, पंचकुला		
413 / 2010 में	16/9/2010	1500 / -	श्री सुन्दर कुमार अलीआस सलीम खान बनाम नगर परिषद, टोहाना		
1868/2010					
2111/2010	16/9/2010	1000/-	श्री वलवान सिंह, जीन्द बनाम सिविल सर्जन, जिन्द		
2113 /2010	16/9/2010	2000/-	श्री ईश्वर सिंह, यमुनानगर बनाम सिविल सर्जन, करनाल		
2040/2010	16/9/2010	500/-	श्री बिजभान, जीन्द बनाम सिविल सर्जन, जिन्द		
2004/2010	16/9/2010	1000/-	श्री देवेन्दर कुमार, जीन्द बनाम हरिया ॥ विजली वितर । निगम, जिन्द		
		-			

2211/2010	21/9/2010	1000/-	श्री रविन्दर कुमार, झज्जर बनाम उच्च शिक्षा आयुक्त, पचंकुला		
1970 / 2010	21/9/2010	10000/-	श्री रधुवीर सिंह, रोहतक बनाम सम्पदा अधिकारी, हुडडा, गुडगांव		
2156/2010	22/9/2010	500/-	श्री कृष्ण कुमार, जीन्द बनाम महानिदेश्क स्वास्थ सेवाये, पचंकुला		
2159/2010	22/9/2010	500/-	श्री कृष्ण कुमार, जीन्द बनाम महानिदेश्क स्वास्थ सेवाये, पचंकुला		
1730/2011	22/9/2010	5000/-	श्री राम चन्द्र बनाम नगराधीश, महेन्द्रगढ		
1909/2010	22/9/2010	2000/-	श्री जगदेव सिंह बनाम हरिया ॥ राज्य सडक ओर पुल विकास निगम लिमिटिड, पचंकुला		
1984/2010	22/9/2010	2000/-	श्री सुभा । चन्द्र ार्मा, रिवाडी बनाम सिविल जज, रिवाडी		
2200/2010	24/9/2010	1000/-	श्री राज कुमार वर्मा बनाम सिविल सर्जन, करनाल		
2297/2010	24/9/2010	100 / -	श्री रमेश वर्मा, हिसार बनाम वित आयुक्त व प्रधानाचार्य सचिव स्वास्थ विभाग		
3 63 /2010 पद 153 9 /210	24/9/2010	500/-	श्री दीन दयाल सोनी, भिवानी बनाम कार्याकारी अभ्यिन्ता, जन स्वास्थ अभियन्ता, भिवानी		
1993 /2010	28/9/2010	10000/-	श्री ओoपीo कुमार, करनाल बनाम सम्पदा अधिकारी, हुडडा, करनाल		

1995/2010	28/9/2010	3 000 / -	श्री वीर सिंह, भिवानी बनाम सम्पदा अधिाकारी, हुडडा, बहादुरगढ		
2071/210	28/9/2010	5000/-	श्री हरनाम सिंह सन्धु, च डीगढ बनाम परिवहन आयुक्त, हरियाणा, च डीगढ		
3 42 / 210	28/9/2010	1000/-	श्रीमति उरमिला दुहन, गुडगाव बनाम दीन वन्धु छोटू राम वि वविध्यालय विज्ञान, मुरथल		
1997 / 2010	29/9/2010	5000/-	श्री आर० एल० अरोडा, हिसार बनाम सम्पदा अधिकारी, हुडडा, हिसार		
2007/2010	29/9/2010	5000/-	श्री राके । अस्थाना, दिल्ली बनाम ाहरी योजना विभाग		
226 / 2010 पद 1618 / 2009	30/9/2010	5000/-	श्रीमति सन्तोस वेनिवाल, हिसार बनाम हरिया ॥ दक्षि । बिजली वितर । निगम, हिसार		
2254/2010	30/9/2010	1000 / -	श्री दीन दयाल सोनी, भिवानी बनाम हरिया ॥ दक्षि । बिजली वितर । निगम, भिवानी		
1876/2010	30/9/2010	500/-	श्री राम भज सैनी, सोनीपत बनाम उतर हरिया । बिजली वितर । निगम, सोनीपत		
23 13 / 2010	30/9/2010	1000 / -	श्रीमति राज वाला, रोहतक बनाम कर्मचारी चयन आयोग, पचंक्ला		
23 11 / 2010	6/10/2010	500/-	श्री राम मेहर ार्मा, जीन्द बनाम महानिदे ाक स्वास्थ सेवाये, पचकुला		
23 16 / 210	6/10/2010	500/-	श्री राम मेहर ार्मा, जीन्द बनाम महानिदे ाक स्वास्थ सेवाये, पचकुला		

23 17 / 210	6/10/2010	500/-	श्री राम मेहर ार्मा, जीन्द बनाम महानिदे ाक स्वास्थ सेवाये, पचकुला
23 18 / 2010	6/10/2010	500/-	श्री राम मेहर ार्मा, जीन्द बनाम महानिदे ाक स्वास्थ सेवाये, पचकुला
23 82 / 2010	6/10/2010	500/-	श्री राम मेहर ार्मा, जीन्द बनाम महानिदे ाक स्वास्थ सेवाये, पचकुला
23 83 /2010	6/10/2010	500/-	श्री राम मेहर ार्मा, जीन्द बनाम महानिदे ाक स्वास्थ सेवाये, पचकुला
2107/2010	6/10/2010	500/-	श्री कपिल देव, पानीपत बनाम कर्मचारी चयन आयोग, पचंकुला
1763 /2010	7/10/2010	2800/-	श्री उमेद सिंह सैनी बनाम वन विभाग, हरिया ॥
2296/2010	7/10/2010	1000 / -	श्री राजे । चन्द, अम्बाला कैंन्ट बनाम हरिया ॥ विधुत प्रसार । निगम लिमिटेड, पचंकुला
2160/2010	13 /10 /2010	1000/-	श्री रमे । वर्मा बनाम महानिदे ाक स्वास्थ सेवाये, पचंकुला
23 49 / 2010	19/10/2010	1000 / -	डा० एम० सी० ार्मा, भिवानी बनाम दक्षि । हरिया ॥ विजली वितर । निगम, भिवानी
2376/2010	19/10/2010	500/-	श्रीमित नीलम खरनगर, अम्बाला कैन्ट बनाम प्रधानाचार्य जीएमएन कालेज, अम्बाला कैन्ट
2234/2010	19/10/2010	2000/-	श्री एम0 सी0 ार्मा बनाम हरिया ॥ जन सेवा आयोग, पचंकुला
2379/2010	20/10/2010	1000/-	श्री कृ ा कुमार लोहिया बनाम दक्षि । हरिया ॥ विजली वितर । निगम लिमिटेड,

			हिसार
23 69 / 2010	21/10/2010 500/-		श्री दीन दयाल सोनी बनाम दक्षि । हरिया ॥ विजली वितर । निगम लिमिटेड,
			भिवानी
3 04 / 2010 पद	21/10/2010	1000/-	श्री दीन दयाल सोनी बनाम हरिया ॥ न्यूरोपेथी हस्पताल सस्था, भिवानी
346/2009			
23 85 / 2010	21/10/2010	500/-	श्री राजे वर प्रसाद बनाम सिविल सर्जन, झज्जर
3 63 /2010	27/10/2010	1000/-	श्री विजय कुमार ार्मा बनाम सिविल सर्जन, करनाल
2465/2010	27/10/2010	1500 / -	श्री पी0 सी0 चौधरी बनाम सिचाई विभाग, पचंकुला
3 68 / 2010	4/11/2010	500/-	श्री सुरेन्द्र सिंह बनाम उत्तर हरिया ॥ विजली वितर । निगम लिमिटेड, पचंकुला
23 10 / 2010	8/11/2010	1000/-	डा० एस० सी० अग्रवाल बनाम प्रधानाचार्य, एसडी कालेज, पानीपत
2464/2010	8/11/2010	1500 / -	श्री श्रुति गोयल बनाम कार्याकारी अधिकारी, नगर निगम, हिसार
23 57 / 2010	9/11/2010	500/-	श्री प्रवीन कुमार बनाम पुलिस अधीक्षक, पानीपत
23 59 / 2010	9/11/2010	500/-	श्री धर्मपाल बनाम पुलिस उपायुक्त, गुडगाव
2332/2010	9/11/2010	500/-	श्री उमराव सिंह बनाम तहसीलदार, महेन्द्रगढ
2519/2010	9/11/2010	1000/-	श्री जीवन जीन्दल बनाम हरिया । ऐग्रो उद्योग निगम, महेन्द्रगढ
394/2010	9/11/2010	500/-	श्री चन्दन सिंह वर्मा बनाम सिविल सर्जन, सोनीपत

23 68 / 2010	10/11/2010	1000 / -	श्री सुरेन्द्र सिंह ढिल्लो बनाम राजस्व विभाग, नारनौल		
530/2010 पद 2041/2010	10/11/2010	5000/-	श्री राजे ा, सिरसा बनाम कार्याकारी अधिकारी, डायरी एसोसिऐसन, सिरसा		
2366/2010	10/11/2010	500/-	श्रीमति क्येसर जहान बनाम सम्पदा अधिकारी, हुडडा, गुडगांव		
2516/2010	11/11/2010	1000/-	श्री प्रदीप भारदवाज बनाम कार्याकारी अभियन्ता, दक्षि । हरिया ॥ विजली वितर । निगम लिमिटेड, भिवानी		
2535/2010	11/11/2010	1000 / -	श्री उमा ांकर सूथरा बनाम कार्याकारी अभियन्ता, दक्षि । हरिया ॥ विजली वितर । निगम लिमिटेड, भिवानी		
23 86 / 2010	11/11/2010	500/-	श्रीमति नीलम मोहन, अम्बाला ाहर बनाम रेड कास सोसाईटी, अम्बाला		
2388/2010	11/11/2010	500/-	श्री सूरज प्रका । बनाम परिवहन विभाग		
1796/2010	11/11/2010	1500 / -	श्री नरे । जून, झज्जर बनाम नगर निगम, झज्जर		
3 47 / 2010	11/11/2010	500/-	श्री संदीप गौर बनाम उप म डल अधिकारी, नारनौल		
2299/2010	12/11/2010	1000 / -	श्रीमति सुनीता बनाम कर्मचारी चयन आयोग, पचंकुला		
1931/2010	16/11/2010 -	1000/-	श्री विकास तुसीर, सोनीपत बनाम पुलिस महानिदे ाक, पचकुला		

	29/11/2010				
2440/2010	18/11/2010	500/-	श्री विसु फोगाट बनाम पुलिस उपाघीक्षक, पचकुला		
2439/2010	18/11/2010	500/-	श्री र ाधीर सिंह, पानीपत बनाम उप म डल अधिकारी, पानीपत		
2676/2010	19 / 11 / 2010	1000/-	श्री चंद वत्स बनाम सचिव नगर परिषद, सोनीपत		
2487/2010	23 /11/2010	1000 / -	श्री अजीत सिंह, भिवानी बनाम तहसीलदार, चरखी दादरी, जिला भिवानी।		
2582/2010	23 /11/2010	500/-	श्री मोहकम सिंह धुल बनाम जाट हाई स्कूल, शिक्षा समिति, कैथल।		
2608/2010	23 /11/2010	1000 / -	श्री सुभाष, संपादक, रोहतक बनाम निर्देशक स्कूल शिक्षा, हरियाणा, चण्डीगढ़।		
2074/2010	24/11/2010	2000/-	श्री राम भज सैनी बनाम तहसीलदार, सोनीपत		
2779 / 2010	24/11/2010	500/-	श्री संदीप सिंह, झज्जर बनाम उप जिला शिक्षा अधिकारी, फरीदाबाद।		
2786/2010	24/11/2010	2000/-	श्री जगजीवन, झज्जर बनाम निर्देशक स्कूल शिक्षा, हरियाणा, चण्डीगढ़।		
2779 -सी / 2010	24/11/2010	500/-	श्री संदीप सिंह, झज्जर बनाम उप जिला शिक्षा अधिकारी, सोनीपत		
2781/2010	24/11/2010	1000 / -	श्री प्रेम सिंह, कुरूकक्षेत्रा बनाम निर्देशक स्कूल शिक्षा, हरियाणा, चण्डीगढ़।		
2777 / 2010	24/11/2010	2000/-	श्री राजीव शर्मा बनाम निर्देशक स्कूल शिक्षा, हरियाणा, चण्डीगढ़।		
2779 - डी / 2010	24/11/2010	500/-	श्री संदीप सिंह, झज्जर बनाम उप जिला शिक्षा अधिकारी, सोनीपत		
2779 – जी / 2010	24/11/2010	500/-	श्री संदीप सिंह, झज्जर बनाम उप जिला शिक्षा अधिकारी, सोनीपत		
2779 - ई / 2010	24/11/2010	500/-	श्री संदीप सिंह, झज्जर बनाम उप जिला शिक्षा अधिकारी, सोनीपत		
2779 - एच / 2010	24/11/2010	500/-	श्री संदीप सिंह, झज्जर बनाम उप जिला शिक्षा अधिकारी, सोनीपत		
2779 – बी / 2010	24/11/2010	500/-	श्री संदीप सिंह, झज्जर बनाम उप जिला शिक्षा अधिकारी, सोनीपत		
2779 - एफ / 2010	24/11/2010	500/-	श्री संदीप सिंह, झज्जर बनाम उप जिला शिक्षा अधिकारी, सोनीपत		
2667/2010	24/11/2010	1000 / -	डा० रवी दत्त, महेन्द्रगढ़ बनाम हरियाणा लोक सेवा आयोग, पंचकूला।		
2530/2010	25/11/2010	500/-	श्री कपूर सिंह बनाम एस. ई, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लि0, जींद।		
2065/2010	25/11/2010	2000/-	डा० सत्या देव, फरीदाबाद बनाम		

	1			
25/11/ 2010	500/-	श्री काशी राम वनाम जिला राजस्व अधिकारी नारनौल		
25/11/ 2010	500/-	श्री कपूर सिंह वनाम अधीक्षक, हरिया ॥ बिजली वितर ॥ निगम लिमटिड,		
		जिन्द		
25/11/ 2010	5000/-	श्री बीरवल सिंह वनाम जिला समाज कलया ॥ अधिकारी नारनौल		
26/11/ 2010	500/-	श्री साधु सिंह वनाम निर्देशक, सैक डरी शिक्षा हरियाणा, पंचकुला		
26/11/ 2010	1000 / -	श्री राजेश कुमार वनाम उप जिला शिक्षा अधिकारी		
26/11/ 2010	500/-	श्री एन आर बन्सल वनाम वैश सिनियर सकेन्डरी विधालय,चरखी दादरी		
26/11/ 2010	500/-	श्री एन एल कुमार वनाम दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमटिड,		
		भिवानी		
29/11/ 2010	1000 / -	श्री विकास तुशार वनाम महा निरीक्षक, पुलिस, पंचकुला		
29/11/ 2010	500/-	श्री विकास तुशार वनाम एफ ए.ड पी एस, गह विभाग, हरियाणा, पंचकुला		
29/11/ 2010	1000 / -	श्री राजेश भारती वनाम महा निर्देशक, पुलिस, पंचकुला		
29/11/ 2010	1000 / -	श्रीमति प्रतिभा वनाम तहसीलदार, रोहतक		
30/11/2010	500/-	श्री राजेश वनाम जिला चुनाव अधिकारी, अम्बाला शहर		
1/12/2010	500/-	श्री प्रदीप कुमार वनाम महा निरीक्षक, पुलिस, पंचकुला		
1/12/2010	5000/-	श्री राम दिया चौधारी वनाम निर्देशक विवरण पंचायत अधिकारी, सोनीपत		
2/12/2010	1000 / -	श्री कनवल शर्मा वनाम जिला राजस्व अधिकारी, सोनीपत		
3 /12 /2010	500/-	श्री देवेन्द्र वनाम जिला राजस्व अधिकारी जिन्द		
3 /12 /2010	500/-	श्री राजेश सिन्धु वनाम जिला राजस्व अधिकारी, रोहतक		
7/12/2010	1000 / -	श्री सुभाश चन्द्र जैन वनाम उप जिला शिक्षा अधिकारी, हिसार		
7/12/2010	2000/-	श्री विनोद अग्रवाल वनाम अधीक्षक, हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमटिङ,		
		फरीदावाद		
	25/11/2010 25/11/2010 26/11/2010 26/11/2010 26/11/2010 26/11/2010 29/11/2010 29/11/2010 29/11/2010 30/11/2010 1/12/2010 3/12/2010 3/12/2010 7/12/2010	25/11/2010 500/- 25/11/2010 5000/- 26/11/2010 1000/- 26/11/2010 500/- 26/11/2010 500/- 26/11/2010 500/- 29/11/2010 1000/- 29/11/2010 1000/- 29/11/2010 500/- 1/12/2010 500/- 2/12/2010 500/- 3/12/2010 500/- 3/12/2010 500/- 7/12/2010 1000/-		

2562/2010	7/12/2010	500/-	श्री गुरवक्ष सिंह वनाम. निदेशक, सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा		
377/2010	8/12/2010	1000 / -	श्री रोशन लाल भारद्ववाज वनाम राजस्व एन्ड		
2581/2010	8/12/2010	500/-	श्री ओम प्रकाश वनाम टे. जिला शिक्षा अधिकारी, भिवानी		
372/2010	9/12/2010	1000 / -	श्री आर पी गिरदर वनाम ए निदेशक, सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा		
373 /2010	9/12/2010	1000 /	श्री आर पी गिरदर वनाम ए निदेशक, सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा		
23 25 / 2010	10 / 12 / 2010	1000 / -	श्री प्रदीप कुमार वनाम जिला राजस्व अधिकारी नारनौल		
3 041/2010	10 / 12 / 2010	300/-	श्री प्रदीप कुमार वनाम उप जिला शिक्षा अधिकारी, रेवाडी		
3 040 / 2010	13 /12 /2010	500/-	श्री ओम प्रकाश वनाम उप जिला शिक्षा अधिकारी नूंह		
3 044 / 2010	13 /12 /2010	500/-	श्री महावीर सिंह वनाम निदेशक, सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा पंचकुला		
3 054 /.2010	13 /12 /2010	500/-	श्री गुरवक्ष सिंह वनाम निदेशक, सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा पंचकुला		
2696/2010	14 / 12 / 2010	1000 / -	श्रीमति सरोज कुमारी वनाम निर्देशक, न्यायिक विज्ञान लैव, करनाल.		
485 / 2010 पद	14 / 12 / 2010	2500/-	श्री कप्तान सिंह वनाम शहरी सार्वजिक जन विभाग, चण्डीगढ		
1713 /2010					
2713 /2010	15 / 12 / 2010	500/-	श्री ओम प्रकाश वनाम उपायुक्त पुलिस, गुडगांव		
273 0 / 2010	17/12/2010	2000/-	श्री दलवीर सिंह वनाम महानिर्देशक पुलिस, पंचकुला		
2734/2010	17/12/2010	500/-	श्री इन्द्रजीत कुमार वनाम नगराधीश यमुनानगर		
2748/2010	17/12/2010	500/-	श्री एम सी ार्मा वनाम उपमण्डल अधिकारी (सी) भिवानी		
23 22 / 2010	17/12/2010	2000/-	श्री विशु पोगाट वनाम महा निरीक्षक, पुलिस, पंचकुला.		
2883 /2010	21/12/2010	1000 / -	श्री चन्द्र भान वनाम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, पंचकुला		
2718 / 2010	22/12/2010	700/-	श्री राम किशन वनाम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, पंचकुला		
2386/2010	24/12/2010	500/-	श्रीमित नीलम वनाम जिला रेड करोश सोसायटी, अम्बाला		
2872/2010	28/12/2010	5000/-	श्रीमति कन्चन वनाम उपायुक्त पुलिस, गुडगावं		
2514/2010	28/12/2010	1000 / -	श्री राम नाथ वनाम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, पंचकुला		
2276/2010	29/12/2010	700/-	श्री वी आर दलाल वनाम. संचाई विभाग.		

2277 / 2010	29/12/2010	700/-	श्री वी आर दलाल वनाम संचाई विभाग.
2279/2010	29/12/2010	700/-	श्री वी आर दलाल वनाम संचाई विभाग.
2280/2010	29/12/2010	700/-	श्री वी आर दलाल वनाम संचाई विभाग.

परिशिष्ट (छ) कर्मचारियों की सूची जिनके विरूद्ध आयोग ने अनुशासनिक कार्यवाही करने के लिए 1-1-2010 से 31-12-2010 के दौरान सिफारिश की ।

केस संख्या	नाम ⁄ विभाग	निर्णय की तिथि	दोषी कर्मचारियों	जन सूचना अधिकारी का नाम
			की संख्या	
81/2010 में	श्री जितेन्द्र कौशल बनाम संपदा	4/8/2010	2	मुख्य प्रशासक, हुडा, पंचकुला
2020/2008	अधिकारी -1, हुडा, गुडगांव			
1839/2010	श्री राजेशवर प्रसाद गुप्ता, झज्जर	4/8/2010	उत्तरदायित्व	सिविल सर्जन, झज्जर
	बनाम सिविल सर्जन, झज्जर		तय किया जा	
			रहा है	
1899/2010	श्री जितेन्द्र कुमार गोयल, भिवानी	17/8/2010	पूछताछ के	उच्च शिक्षा आयुक्त, हरियाणा
	बनाम उच्च शिक्षा आयुक्त,		लिए और	
	पंचकुला		जिम्मेदारी तय	
286/2010 में	डॉ0 एम.सी. शर्मा, भिवानी बनाम	19/8/2010	1	महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं
1435/2010	निदेशक, समान्य स्वास्थ्य सेवाएं,			
	हरियाणा।			
236/2010 में	श्री जोगराम शर्मा, अम्बाला बनाम	19/8/2010	1	शहरी स्थानीय निकाय विभाग (निदेशक)
1757/2010	नगरपालिका निगम, अम्बाला			
13 2 / 2010 में	श्री कर्म सिंह, करनाल बनाम	23 /8 /2010	1	सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग (निदेशक)
49/2010	जिला सामाजिक कल्याण			
	अधिकारी, करनाल			

2028/2010	श्री लाल चंद, पंचकुला बनाम सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता	27/8/2010	पूछताछ के लिए और	सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग (निदेशक)
	विभाग, हरिया-॥		जिम्मेदारी तय	
284/2010 में	डॉ0 एम-सी- शर्मा, भिवानी	1/9/2010	1	राज्य परिवहन नियंत्रक, हरियाणा, द्वितीय तल, 30
1410/2009	बनाम सचिव क्षेत्रिय परिवहन			बेज बिर्ल्डींग, सैक्टर – 17, चण्डीगढ।
	अधिकारी, भिवानी			
3 15 / 2010	श्री दीन दयाल सोनी, भिवानी	9/9/2010	जांच का	उपायुक्त, भिवानी
	बनाम कार्यकारी अधिकारी,		संचालन करने	
	नगरपालिका परिषद, भिवानी		लिये उपायुक्त	
3 13 / 2010 में	श्री चतर सिंह, जींद बनाम	16/9/2010	1	प्रबंध निदेशक, उत्तर हरियाणा बिजली वितर –।
1497/2010	इंजीनियर / सेशन अधीक्षक – ा			निगम लि0, पंचकुला
	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण			
	निगम लि0, पंचकुला			
439/2010 में	श्री जितेन्द्र कुमार गोयल, भिवानी	21/9/2010	4	उच्च शिक्षा आयुक्त, हरियाणा,शिक्षा सदन,
1899/2010	बनाम उच्च शिक्षा आयुक्त,			सैक्टर - 5, पंचक्ला।
	हरियाणा			, and the second
244 एंव 245	डा० राजपाल धनखड, हिसार	30/9/2010	उत्तरदायित्व	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा, चण्डीगढ
ऐ/2010 में	बनाम मुख्य निर्वाचन अधिकारी,		तय किया जा	
13 46 / 2010	हरियाणा, चण्डीगढ		रहा है	
786/2010	श्री जगजीवन बनाम स्कूल शिक्षा,	24/11/2010	1	स्कूल शिक्षा, निदेशक, हरियाणा
	निदेशक, हरियाणा			